मोटर दुर्घटना दावों के लिए

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा

बनाई गई योजना

मोटर दुर्घटना दावों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई योजना

क्रम सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की जाँच	7
2.	जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 48 घंटों के भीतर **प्रपत्र-I-प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)** प्रस्तुत किया जाना	7
3.	जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ित(गण) को 10 दिन के भीतर **प्रपत्र-II-पीड़ित(गण) के अधिकार** तथा इस योजना का प्रवाह चित्र प्रदान किया जाना	8
4.	चालक द्वारा जाँच अधिकारी को 30 दिन के भीतर **प्रपत्र-III-चालक प्रपत्र** प्रस्तुत किया जाना	8
5.	मालिक द्वारा जाँच अधिकारी को 30 दिन के भीतर **प्रपत्र-IV-मालिक प्रपत्र** प्रस्तुत किया जाना	9
6.	जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 50 दिन के भीतर **प्रपत्र-V-अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)** प्रस्तुत किया जाना	9
7.	जाँच अधिकारी के साथ-साथ बीमा कंपनी द्वारा **चालक प्रपत्र** तथा **मालिक प्रपत्र** का सत्यापन	9
8.	पीड़ित(गण) द्वारा जाँच अधिकारी को 60 दिन के भीतर **प्रपत्र-VI-ए-पीड़ित प्रपत्र** प्रस्तुत किया जाना	10
9.	नाबालिग बच्चों के सम्बन्ध में पीड़ित(गण) द्वारा जाँच अधिकारी को 60 दिन के भीतर **प्रपत्र-VI-बी-पीड़ित प्रपत्र** प्रस्तुत किया जाना	10
10.	बीमा कंपनी द्वारा **पीड़ित प्रपत्र** का सत्यापन	11
11.	पुलिस द्वारा आपराधिक मामले की जाँच दुर्घटना के 60 दिन के भीतर पूरी की जाएगी	11
12.	जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 90 दिन के भीतर **प्रपत्र-VII-विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)** प्रस्तुत किया जाना	12
13.	पीड़ित(गण), अपराध में लिप्त वाहन(नों) के मालिक/चालक, बीमा कंपनी एवं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) को वि.दु.आ. की प्रति का	12

	प्रदान किया जाना	
14.	जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त किया जाना	13
15.	अ.दु.आ. एवं वि.दु.आ. दाखिल करने हेतु समय का विस्तार	13
16.	दावा अधिकरण द्वारा प्र.दु.आ., अ.दु.आ. एवं वि.दु.आ. का परीक्षण	13
17.	दावा अधिकरण के समक्ष चालक(कों), मालिक(कों), दावेदार(रों) एवं चश्मदीद गवाह(हों) को पेश करना जाँच अधिकारी का कर्तव्य	14
18.	बीमा विहीन वाहन की स्थिति में, अपराधियों को मोटर यान अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत अभियोजित किया जाना	15
19.	नकली चालक अनुज्ञप्ति/परमिट/फिटनेस/बीमा पॉलिसी की स्थिति में, विधि अनुसार यथोचित कार्यवाही का किया जाना	15
20.	बीमाविहीन वाहन का मालिक को नहीं दिया जाना	15
21.	पुलिस के कर्तव्यों को राज्य पुलिस अधिनियम का भाग समझा जाएगा	16
22.	आवेदन के 15 दिन के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करना पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य	16
23.	दुर्घटना के 15 दिन के भीतर एमएलसी एवं शव परीक्षण आख्या को जारी करना अस्पताल का कर्तव्य	16
24.	दावा अधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 166(4) के तहत वि.दु.आ. को मुआवज़े हेतु दावा याचिका माना जाएगा	16
25.	अंधाधुंध एवं लापरवाही से चलाने के आरोप के मामलों में, दावा अधिकरण मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत मामला दर्ज करेगा	17
26.	बीमा कंपनियों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करना एवं दिल्ली पुलिस को सूचित करने का कर्तव्य	18
27.	दुर्घटना की प्रथम सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर बीमा कंपनी द्वारा नामित अधिकारी को नियुक्त करने का कर्तव्य	18
28.	बीमा कंपनी द्वारा दावे का सत्यापन करने का कर्तव्य	18

29.	बीमा कंपनी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष वि.दु.आ. के 30 दिन के भीतर **प्रपत्र-XI-बीमा प्रपत्र** प्रस्तुत किया जाना	19
30.	जब दावेदार(रों) द्वारा बीमा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो सहमति अधिनिर्णय पारित किया जाएगा	19
31.	दावेदार(रों) द्वारा बीमा कंपनी के प्रस्ताव का जवाब 30 दिन के भीतर देना	20
32.	यदि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित मुआवजा उचित नहीं हो तथा/अथवा दावेदार(रों) को स्वीकार्य नहीं हो तो दावा अधिकरण दुर्घटना की तिथि से 9 माह के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा	20
33.	यदि बीमा कंपनी अपने दायित्व को लेकर कुछ विवाद करे तो दावा अधिकरण द्वारा जाँच की जाएगी एवं दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाएगा	21
34.	सत्य का पता लगाना दावा अधिकरण का कर्तव्य	21
35.	दावेदार(रों) को उनके निवास के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने का निर्देश	22
36.	अधिनिर्णय को पारित करने से पूर्व दावेदार(रों) का परीक्षण	23
37.	**प्रपत्र - XIII** तथा **XIV** - पक्षकारों द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष लिखित निवेदन दाखिल करना	24
38.	अधिनिर्णय राशि जमा करना	24
39.	अधिनिर्णय राशि की अदायगी	25
40.	अधिनिर्णय राशि का रक्षण	25
41.	**प्रपत्र - XVII** दावा अधिकरण अधिनिर्णय के प्रावधानों के अनुपालन को देखेगा	27
42.	दावा अधिकरण अनुपालन के प्रतिवेदन की तारीख तय करेगा	28
43.	वि.दु.आ. के साथ-साथ अधिनिर्णय की प्रति संबंधित महानगर दंडाधिकारी को प्रेषित करना	29
44.	अधिनिर्णय की प्रति दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) को प्रेषित करना	30

45.	**प्रपत्र - XVIII** - दावा अधिकरण के अधिनिर्णयों का अभिलेख	30
46.	**प्रपत्र - XII - पीड़ित प्रभाव आख्या (पी.प्र.आ.)** दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) द्वारा दोषसिद्धि के 30 दिनों के भीतर महानगर दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल करना	30

प्रपत्र सं.	प्रपत्र	पृष्ठ सं.
प्रपत्र सं. I.	प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)	32
प्रपत्र सं. II.	सड़क दुर्घटना के पीड़ित(गण) के अधिकार तथा प्रवाह चित्र	35
प्रपत्र सं. III.	चालक प्रपत्र	38
प्रपत्र सं. IV.	मालिक प्रपत्र	40
प्रपत्र सं. V.	अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)	43
प्रपत्र सं. VIA.	पीड़ित प्रपत्र	46
प्रपत्र सं. VIB.	नाबालिग बच्चों से संबंधित पीड़ित प्रपत्र	53
प्रपत्र सं. VII.	विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)	57
प्रपत्र सं. VIII.	नक्शा मौक़ा	66
प्रपत्र सं. IX.	यांत्रिक निरीक्षण आख्या	68
प्रपत्र सं. X.	सत्यापन आख्या	72
प्रपत्र सं. XI.	बीमा प्रपत्र	73
प्रपत्र सं. XII.	पीड़ित प्रभाव आख्या (पी.प्र.आ.)	77
प्रपत्र सं. XIII.	मृत्यु के मामलों में लिखित निवेदन का प्रारूप	88
प्रपत्र सं. XIV.	चोट के मामलों में लिखित निवेदन का प्रारूप	90
प्रपत्र सं. XV.	मृत्यु के मामलों में अधिनिर्णय राशि के अभिकलन का सारांश अधिनिर्णय में सम्मिलित करना	92
प्रपत्र सं. XVI.	चोट के मामलों में अधिनिर्णय राशि के अभिकलन का सारांश अधिनिर्णय में सम्मिलित करना	94
प्रपत्र सं. XVII.	योजना के प्रावधानों के अनुपालन को अधिनिर्णय में उल्लिखित करना	96
प्रपत्र सं. XVIII.	दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णयों के अभिलेख का प्रारूप रखना	98
प्रपत्र सं. XIX.	मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा (मो.दु.दा.वा.ज.) योजना	99

मोटर दुर्घटना दावों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई योजना

1. पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की जाँच

सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस के जाँच अधिकारी द्वारा तुरंत दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया जाएगा; दुर्घटना स्थल एवं दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) की फोटो खींची जायेंगी तथा जैसा भी मामला हो, सड़क(कों) अथवा स्थान(नों) के अभिन्यास और चौड़ाई आदि को इंगित करते हुए मापक के अनुसार नक्शा मौका तैयार किया जाएगा, शामिल वाहन(नों) एवं व्यक्ति(यों) की स्थिति के साथ ही अन्य प्रासंगिक तथ्यों को भी उल्लिखित किया जाएगा | चोट के मामलों में, जाँच अधिकारी द्वारा अस्पताल में घायल व्यक्ति की तस्वीर(रें) ली जाएंगी। जाँच अधिकारी द्वारा चश्मदीद गवाहों/मौके पर मौजूद व्यक्तियों का परीक्षण करके मौके पर भी एक जांच की जाएगी।

2. जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 48 घंटों के भीतर प्रपत्र-I- प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.) प्रस्तुत किया जाना

2.1 जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर **प्रपत्र-I** में **प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)** द्वारा दुर्घटना की सूचना दी जाएगी।

2.2 यदि बीमा पॉलिसी का विवरण उपलब्ध हो, तो अपराध में लिप्त वाहन की संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को **प्रपत्र-I** में दुर्घटना की सूचना दी जाएगी।

2.3 जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ितों को प्र.दु.आ. की प्रति प्रदान की जाएगी।

2.4 जाँच अधिकारी द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) को प्र.दु.आ. की प्रति प्रदान की जाएगी।

2.5 जाँच अधिकारी द्वारा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर प्र.दु.आ. की प्रति अपलोड की जाएगी।

3. **<u>जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ित(गण) को 10 दिन के भीतर प्रपत्र-II-सड़क दुर्घटना के पीड़ित(गण) के अधिकार तथा इस योजना का प्रवाह चित्र प्रदान किया जाना</u>**

जाँच अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर **प्रपत्र-II** जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ित(गण) के अधिकारों का विवरण हो तथा इस योजना का प्रवाह चित्र पीड़ित(गण) (घायल/मृतक के विधिक प्रतिनिधियों) को एक लिखित अभिस्वीकृति के बदले प्रदान किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष **विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)** के साथ-साथ **प्रपत्र-II** की प्रति जिस पर पीड़ित(तों) की अभिस्वीकृति हो दाखिल की जाएगी।

4. **<u>चालक द्वारा जाँच अधिकारी को 30 दिन के भीतर प्रपत्र-III -चालक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना</u>**

दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) के चालक द्वारा दुर्घटना के 30 दिन के भीतर **प्रपत्र-III** में सुसंगत जानकारी नामतः उनका नाम, आयु, लिंग, आय, चालक अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि, वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन के मालिक तथा बीमा का विवरण, आदि जाँच अधिकारी को

प्रदान की जाएगी। (जाँच अधिकारी द्वारा रिक्त **प्रपत्र-III** चालक को प्रदान किया जाएगा जो सुसंगत विवरणों को भरेगा तथा जाँच अधिकारी को यह प्रदान करेगा) **प्रपत्र-III**

5. **<u>मालिक द्वारा जाँच अधिकारी को 30 दिन के भीतर प्रपत्र-IV- मालिक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना</u>**

दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) के मालिक द्वारा दुर्घटना के 30 दिन के भीतर **प्रपत्र-IV** में सुसंगत जानकारी नामतः चालक का विवरण, बीमा पॉलिसी का विवरण, परमिट एवं फिटनेस आदि का विवरण जाँच अधिकारी को प्रदान की जाएगी। (जाँच अधिकारी द्वारा दुर्घटना में शामिल वाहनों के मालिक को रिक्त **प्रपत्र-IV** प्रदान किया जाएगा जिसके बाद मालिक प्रपत्र को भरेगा तथा इसे जाँच अधिकारी को प्रदान करेगा)।

6. **<u>जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 50 दिन के भीतर प्रपत्र-V- अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.) प्रस्तुत किया जाना</u>**

जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष 50 दिन के भीतर दुर्घटना के **प्रपत्र-V** में **अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)** जमा की जाएगी। **अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)** के साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज भी होने चाहिए। बीमा कंपनी, पीड़ित(तों) व दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) को **अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)** के साथ-साथ दस्तावेज़ की प्रति भी प्रदान की जाएगी।

7. **<u>जाँच अधिकारी के साथ-साथ बीमा कंपनी द्वारा चालक प्रपत्र एवं मालिक प्रपत्र का सत्यापन</u>**

जाँच अधिकारी के साथ-साथ बीमा कंपनी दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) के चालक तथा मालिक द्वारा क्रमशः **प्रपत्र-III** एवं **प्रपत्र-IV** में दी गई

जानकारी एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेगी | जाँच अधिकारी एवं बीमा कंपनी दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) के चालक तथा मालिक द्वारा दिये गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन **वाहन** (VAHAN) पर उपलब्ध जानकारी अथवा प्राधिकरण/या उसे जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में या ऐसी किसी जाँच या सत्यापन, जिसे आवश्यक समझा जाए, को प्राप्त करके करेंगे | जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष **विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)** के साथ-साथ **सत्यापन आख्या** को **प्रपत्र-X** में दाखिल किया जाएगा।

8. **<u>पीड़ित(गण) द्वारा जाँच अधिकारी को 60 दिन के भीतर प्रपत्र-VI-ए-पीड़ित प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना</u>**

दुर्घटना के पीड़ित(गण) द्वारा ***प्रपत्र-VI-ए*** में प्रासंगिक जानकारी व कागज़ातों के साथ जाँच अधिकारी को दुर्घटना के 60 दिन के भीतर जमा कराया जाएगा। (जाँच अधिकारी पीड़ित(तों) को रिक्त ***प्रपत्र-VI-ए*** उपलब्ध कराएगा, जो प्रासंगिक सूचना भरेगें/प्रासंगिक कागज़ात लगाएगें तथा इसे जाँच अधिकारी को दुर्घटना के 60 दिन के भीतर जमा करेगें)।

9. **<u>नाबालिग़ बच्चों के संबंध में पीड़ित(गण) द्वारा जाँच अधिकारी को 60 दिन के भीतर प्रपत्र-VI-बी-पीड़ित प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना</u>**

दुर्घटना के पीड़ित(गण) के बच्चे/बच्चों की दशा में, जाँच अधिकारी पीड़ित(गण) को रिक्त ***प्रपत्र-VI-बी*** उपलब्ध कराएगा, जो इसमें प्रासंगिक सूचना भरेगें/प्रासंगिक कागज़ात लगाएगें तथा उसको जाँच अधिकारी को दुर्घटना के 60 दिन के भीतर इसे जमा कराएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या बच्चा *किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण)*

अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार *देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा (दे.सं.आ.वा.ब.)* है, जाँच अधिकारी पीड़ितों द्वारा उपरोक्त प्रपत्र VI-ए व VI-बी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर, वि.दु.आ. के साथ प्रपत्र VI-ए व VI-बी की प्रतियाँ बाल कल्याण समिति को भेजेगा|

जाँच अधिकारी पीड़ित(गण) द्वारा उपरोक्त ***प्रपत्र-VI-ए*** व ***VI-बी*** प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर, वि.दु.आ. के साथ ***प्रपत्र-VI-ए*** व ***VI-बी*** की प्रतियाँ *दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.)* को भी भेजेगा| ताकि बच्चे/बच्चों को शिक्षा सहित उनके विधिक उपचारों/अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता हेतु अधिवक्ता प्रदान किया जा सके।

10. **<u>बीमा कम्पनी द्वारा पीड़ित प्रपत्र का सत्यापन</u>**

जाँच अधिकारी वि.दु.आ. के साथ कागज़ात सहित ***पीड़ित प्रपत्र*** की प्रति अपराध में लिप्त वाहन की बीमा कम्पनी को प्रदान करेगा, जिसके उपरांत बीमा कम्पनी को वि.दु.आ. प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पीड़ित(गण) द्वारा प्रदान की गई जानकारी व कागज़ात का सत्यापन करेगी।

11. **<u>पुलिस द्वारा आपराधिक मामले की जाँच दुर्घटना के 60 दिन के भीतर पूरी की जाएगी</u>**

जाँच अधिकारी दुर्घटना के 60 दिन के भीतर आपराधिक मामले की जाँच पूरी करेगा तथा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट महानगर दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल करेगा। जाँच अधिकारी दं.प्र.सं. की धारा 173

के अंतर्गत इस रिपोर्ट की प्रति ***विस्तृत दुर्घटना आख्या*** *(*वि.दु.आ.*)* सहित दावा अधिकरण को जमा कराएगा।

12. **<u>जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को 90 दिन के भीतर प्रपत्र-VII - विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.) प्रस्तुत किया जाना</u>**

जाँच अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन(नों) के चालक व मालिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी व कागज़ातों का सत्यापन पूरा करेगा तथा दुर्घटना के 90 दिन के भीतर ***प्रपत्र-VII*** में ***विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट*** *(वि.दु.आ.)* दावा अधिकरण को जमा कराएगा|

13. **<u>पीड़ित(गण), अपराध में लिप्त वाहन(नों) के मालिक/चालक, बीमा कंपनी एवं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.) को वि.दु.आ. की प्रति प्रदान किया जाना</u>**

जाँच अधिकारी वि.दु.आ. की प्रति दुर्घटना के पीड़ित(गण), अपराध में लिप्त वाहन(नों) के मालिक/चालक तथा बीमा कम्पनी के नोडल अधिकारी को प्रदान करेगा। वि.दु.आ. की प्रति (उचित पृष्ठांकन व विषय-सूची के साथ) बीमा कम्पनी व अन्य को भेजनी होगी। जाँच अधिकारी ***विस्तृत दुर्घटना आख्या*** *(*वि.दु.आ.*)* के साथ कागजात की एक प्रति *दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.)* को भी प्रदान करेगा। *दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.)* दावा अधिकरण की दावेदार(रों) को विधि अनुसार देय न्यायसंगत मुआवज़े के निर्धारण में सहायता करेगा।

14. <u>जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना</u>

चालक(कों), मालिक(कों), बीमा कम्पनी तथा/अथवा दावेदार(रों) द्वारा किसी प्रासंगिक जानकारी तथा/अथवा कागज़ात को प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में, जाँच अधिकारी दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगा जिसके उपरान्त दावा अधिकरण, चूक करने वाले पक्षकारों को आवश्यक कागजातों के साथ अपेक्षित प्रपत्र अर्थात ***चालक प्रपत्र-III, मालिक प्रपत्र-IV*** या ***पीड़ित प्रपत्र-VI-ए*** तथा ***VI-बी*** 15 दिन के भीतर सीधे दावा अधिकरण के पास जमा करने का निर्देश देगा।

15. <u>अ.दु.आ. एवं वि.दु.आ. दाखिल करने हेतु समय का विस्तार</u>

यदि जाँच अधिकारी अपने नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से 50 दिन के भीतर अ.दु.आ. तथा/अथवा 90 दिन के भीतर वि.दु.आ. दाखिल नहीं कर पाता है, उदाहरण के लिए दुर्घटना कर भाग जाने के मामलों में; ऐसे मामले जहाँ पक्षकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर रहते हों; जहाँ चालक अनुज्ञप्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर से जारी किया गया हो, अथवा जहां पीड़ित(तों) को गम्भीर चोटें आई हों तथा उसका/उनका निरंतर उपचार चल रहा हो, तब जाँच अधिकारी आ.दु.आ./*वि.दु.आ.* दाखिल करने हेतु समय में विस्तार के लिए दावा अधिकरण से निवेदन करेगा जिसके उपरांत दावा अधिकरण को प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार जैसा उपयुक्त लगेगा समय का विस्तार करेगा ।

16. **<u>दावा अधिकरण द्वारा प्र.दु.आ., आ.दु.आ. व वि.दु.आ. का परीक्षण</u>**

दावा अधिकरण यह देखेगा कि प्र.दु.आ., आ.दु.आ. व वि.दु.आ. हर प्रकार से पूर्ण है या नहीं। यदि वि.दु.आ. हर प्रकार से पूर्ण है, तो दावा

अधिकरण चालक(कों), मालिक(कों), दावेदार(रों) तथा चश्मदीद गवाह(हों) के पेश होने की तिथि निर्धारित करेगा तथा जाँच अधिकारी इस प्रकार निर्धारित तिथि पर उनको पेश करेगा। जाँच अधिकारी दावा अधिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित तिथि के विषय में बीमा कम्पनी के नोडल अधिकारी को सूचित करेगा तथा बीमा कम्पनी निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी | यदि वि.दु.आ. पूर्ण नहीं है, तो दावा अधिकरण जाँच अधिकारी को उसे पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करेगा तथा इसको पूर्ण करने हेतु तिथि निर्धारित करेगा।

17. **<u>दावा अधिकरण के समक्ष चालक(कों), मालिक(कों), दावेदार(रों) एवं चश्मदीद गवाह(हों) को पेश करना जांच अधिकारी का कर्तव्य</u>**

दावा अधिकरण के इस आदेश के उपरांत कि वि.दु.आ. हर प्रकार से पूर्ण है जाँच अधिकारी चालक(कों), मालिक(कों), दावेदार(रों) तथा चश्मदीद गवाह(हों) को दावा अधिकरण के समक्ष पेश करेगा। हालांकि, यदि जाँच अधिकारी अपने नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि पर चालक(कों), मालिक(कों), दावेदार(रों) तथा चश्मदीद गवाह(हों) को दावा अधिकरण के समक्ष पेश करने में असमर्थ है तो दावा प्राधिकरण उन्हें 30 दिन के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु नोटिस जारी करेगा जो कि जाँच अधिकारी द्वारा तामील होगा। जाँच अधिकारी संबंधित बीमा कम्पनी के नोडल अधिकारी को दावा अधिकरण के समक्ष वि.दु.आ. दाखिल करने की तिथि के विषय में अग्रिम सूचना देगा ताकि बीमा कम्पनी के लिए नामांकित अधिवक्ता दावा अधिकरण के समक्ष सुनवाई की पहली तारीख पर उपस्थित हो सके।

18. **<u>बीमाविहीन वाहन की स्थिति में, अपराधियों को मोटर यान अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत अभियोजित किया जाना</u>**

बीमाविहीन अपराध में लिप्त वाहन की स्थिति में, जाँच अधिकारी मोटर यान अधिनियम की धारा 196 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति(यों) को अभियोजित करेगा जिसमें चालक, मालिक तथा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बीमाविहीन वाहन को चलाने की इजाज़त दी थी, शामिल हैं |

19. **<u>नकली चालक अनुज्ञप्ति/परमिट/फिटनेस/बीमा पालिसी की स्थिति में, विधि अनुसार यथोचित कार्यवाही का किया जाना</u>**

यदि चालक अनुज्ञप्ति/परमिट/फिटनेस/बीमा पॉलिसी नकली पाए जाते हैं, तो जाँच अधिकारी विधि अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

20. **<u>बीमाविहीन वाहन का मालिक को नहीं दिया जाना</u>**

यदि तृतीय पक्ष जोखिम के एवज़ में अपराध में लिप्त वाहन बीमा पॉलिसी द्वारा सुरक्षित नहीं है; अथवा यदि चालक के पास एक वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं है; अथवा यदि पंजीकृत मालिक बीमा पॉलिसी या चालक की चालक अनुज्ञप्ति की प्रति को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो दुर्घटना में शामिल अपराध में लिप्त वाहन को तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि पंजीकृत मालिक प्रदान किए जा सकने वाले मुआवज़े को अदा करने के लिए न्यायलय की संतुष्टि हेतु पर्याप्त जमानत प्रस्तुत नहीं कर देता है। जाँच अधिकारी द्वारा वाहन को कब्जे में लिये जाने के तीन महीने की समाप्ति पर, उस क्षेत्र जहाँ पर दुर्घटना हुई थी के क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को आम-नीलामी में बेच दिया जाएगा तथा उस नीलामी से प्राप्त राशि को उस मुआवज़े,

जो कि दावा अधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है, की पूर्ति हेतु 15 दिनों के भीतर संबंधित दावा अधिकरण के पास जमा कराना होगा।

21. **<u>पुलिस के कर्तव्यों को राज्य पुलिस अधिनियम का भाग समझा जाएगा</u>**

ऊपर वर्णित पुलिस के दायित्वों को इस प्रकार समझा जाएगा कि वे संबंधित राज्य पुलिस अधिनियम का भाग हैं तथा उनका किसी भी प्रकार का उल्लंघन उस विधि में उल्लिखित परिणामों को अपरिहार्य बना देगा।

22. **<u>आवेदन के 15 दिन के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करना पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य</u>**

जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण वाहन(नों) के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र, चालक अनुज्ञप्ति, फिटनेस व अनुज्ञप्ति का सत्यापन करेगा |

23. **<u>दुर्घटना के 15 दिन के भीतर एमएलसी एवं शव परीक्षण आख्या को जारी करना अस्पताल का कर्तव्य</u>**

संबंधित अस्पताल जाँच अधिकारी को दुर्घटना के 15 दिन के भीतर एमएलसी व शव परीक्षण आख्या जारी करेगा |

24. **<u>दावा अधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 166(4) के तहत वि.दु.आ. को मुआवज़े हेतु दावा याचिका माना जाएगा</u>**

24.1 दावा अंधिकरण जांच अधिकारी द्वारा दाखिल वि.दु.आ. को मोटर यान अधिनियम की धारा 166(4) के अंतर्गत मुआवज़ा याचिका के रूप में मानेगा |

24.2 यदि जाँच अधिकारी दावेदार(रों) को सुनवाई की प्रथम तारीख पर उपस्थित करने में असमर्थ रहता है, तो दावा अधिकरण वि.दु.आ. को दावेदार(रों) के पेश होने के बाद दावा याचिका के रूप में पंजीकृत करेगा ।

24.3 यदि दावेदार अलग से दावा याचिका दाखिल करते हैं, तो वि.दु.आ. को दावा याचिका के साथ संलग्न करना होगा।

24.4 यदि दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट वि.दु.आ. दाखिल करने के समय दाखिल नहीं की गई है, तब दावा अधिकरण या तो दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट दाखिल किए जाने का इंतज़ार करेगा अथवा अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व अनदेखी के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने हेतु चश्मदीद गवाह(हों) के बयान दर्ज करेगा ।

24.5 दावा अधिकरण ***प्रथम दुर्घटना आख्या*** *(प्र.दु.आ.)* को एक विविध आवेदन के रूप में दर्ज करेगा तथा ***अंतरिम दुर्घटना आख्या*** *(अ.दु.आ.)* के साथ-साथ ***विस्तृत दुर्घटना आख्या*** *(*वि.दु.आ.*)* को उस विविध आवेदन में अभिलेख पर लिया जाएगा।

25. **<u>अंधाधुंध एवं लापरवाही से चलाने के आरोप के मामलों में, दावा अधिकरण मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत मामला दर्ज करेगा</u>**

दावा अधिकरण मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मामला पंजीकृत करेगा, यदि वि.दु.आ. तथा विशेषकर, धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत रिपोर्ट में अंधाधुंध एवं लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आता है। हालांकि, जहाँ वि.दु.आ. में वाहन को अंधाधुंध और लापरवाही से चलाने का मामला सामने नहीं आता है या दावेदार

लापरवाही के आरोप के बावजूद *दोष-रहित* होने के आधार पर मुआवज़े का दावा करने का निर्णय करते हैं, तब दावा अधिकरण दावे को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत *दोष-रहित* दायित्व के मामले के रूप में पंजीकृत करेगा।

26. **<u>बीमा कंपनियों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करना एवं दिल्ली पुलिस को सूचित करने का कर्तव्य</u>**

सभी बीमा कम्पनियों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा तथा नोडल अधिकारी का नाम, पता, फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर व ई-मेल पता दिल्ली पुलिस के पुलिस उपायुक्त-विधिक प्रकोष्ठ (पुलिस मुख्यालय) को सूचित करना होगा, जो वाहन दुर्घटना दावों की जाँच कर रहे दिल्ली पुलिस के जाँच अधिकारियों को नोडल अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से प्रासंगिक प्रपत्र व कागज़ात भेजने हेतु दिशा-निर्देश देगें।

27. **<u>दुर्घटना की प्रथम सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर बीमा कंपनी द्वारा नामित अधिकारी को नियुक्त करने का कर्तव्य</u>**

बीमा कम्पनी को दुर्घटना की प्रथम सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर उस मामले में एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी उस मामले से निपटने/कार्यवाही करने तथा विधि अनुसार दावेदार(रों) को देय मुआवज़े के संबंध में लिखित तर्कसंगत निर्णय पारित करने हेतु जिम्मेदार होगा।

28. **<u>बीमा कंपनी द्वारा दावे का सत्यापन करने का कर्तव्य</u>**

बीमा कम्पनियाँ दावे के सही होने/प्रामाणिकता का सत्यापन करने हेतु बाध्य हैं | बीमा कम्पनियां दावे के सत्यापन हेतु अपने स्वयं के अधिकारी(यों) को दिशा-निर्देश देंगी अथवा एक जाँचकर्ता या सर्वेक्षक

नियुक्त करेंगी | यदि वि.दु.आ. में किए गए कथन गलत पाए जाते हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी सर्वेक्षक/जाँचकर्ता की रिपोर्ट की प्रति को संबंधित पुलिस उपायुक्त के पास भेजेगा | जाँच करने पर, यदि बीमा कंपनी को एक फर्जी दुर्घटना का मामला मिलता है तो बीमा कंपनी अपराध में लिप्त वाहन के चालक का सीडीआर रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु संबंधित पुलिस उपायुक्त के समक्ष आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है।

29. **<u>बीमा कम्पनी द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष वि.दु.आ. के 30 दिन के भीतर प्रपत्र-XI बीमा प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना</u>**

यदि मुआवज़े के भुगतान की देनदारी पर मतभेद नहीं है, तो बीमा कम्पनी जाँच अधिकारी से वि.दु.आ. की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार दावेदार(रों) को देय मुआवज़े की मात्रा के अनुसार निर्णय लेगी| बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय लिखित में होगा और वह एक तर्कसंगत निर्णय होगा| दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने वाली बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी की आख्या **प्रपत्र-XI** में प्रस्तुत होगी| हालाँकि, यदि बीमा कंपनी मुआवज़े के भुगतान की देनदारी स्वीकार नहीं करती है, तो वह प्रतिवाद के आधारों को **प्रपत्र-XI** में बताएगी और सर्वेक्षक/अन्वेषक की आख्या की प्रति को **प्रपत्र-XI** के साथ दायर करेगी|

30. **<u>जब दावेदार(रों) द्वारा बीमा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो सहमति अधिनिर्णय पारित किया जाएगा</u>**

बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए मुआवज़े में दावेदार(रों) के लिए एक विधिक प्रस्ताव गठित किया जाएगा और यदि

कथित राशि दावेदार(रों) के लिए उचित और स्वीकार्य है तो दावा अधिकरण एक सहमति अधिनिर्णय पारित करेगा और बीमा कंपनी को अधिनिर्णय की राशि जमा करने हेतु 30 दिनों का समय देगा| परन्तु, सहमति अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावेदार(रों) को विधि अनुसार उचित मुआवज़ा दिया गया है| दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सहमति अधिनिर्णय को दुर्घटना की तिथि से छह महीनों के भीतर पारित किया जाए|

31. **<u>दावेदार(रों) को बीमा कंपनी के प्रस्ताव का जवाब 30 दिन के भीतर देना</u>**

यदि दावेदार(रों) बीमा कंपनी के प्रस्ताव का तत्काल उत्तर देने की स्थिति में नहीं है तो दावा अधिकरण उन्हें कथित प्रस्ताव का उत्तर देने हेतु 30 दिनों से ज़्यादा की अवधि का समय प्रदान नहीं करेगा|

32. **<u>यदि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित मुआवज़ा उचित नहीं हो तथा/अथवा दावेदार(रों) को स्वीकार्य नहीं हो तो दावा अधिकरण दुर्घटना की तिथि से 9 माह के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा</u>**

यदि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित राशि उचित/तर्कसंगत और/अथवा दावेदार(रों) को स्वीकार्य नहीं है तो दावा अधिकरण पक्षगण को सुनने के पश्चात् राशि निर्धारित करेगा और अधिनिर्णय पारित करेगा| दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना की तिथि से 9 माह के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाए|

33. **<u>यदि बीमा कंपनी अपने दायित्व को लेकर कुछ विवाद करे तो दावा अधिकरण द्वारा जाँच की जाएगी एवं दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाएगा</u>**

यदि बीमा कंपनी मुआवज़े के भुगतान पर मतभेद करती है तो वह **प्रपत्र-XI** में प्रतिवाद के आधारों को बताएगी| यदि दावा अधिकरण साक्ष्य का अभिलेखन आवश्यक समझता है तो दावा अधिकरण मोटर यान अधिनियम की धारा 168 और 169 के अनुसार जाँच करेगा जिसे दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा| यदि दावा अधिकरण एक वर्ष के भीतर जाँच पूरी नहीं कर सका तो वह उसके कारणों को अधिनिर्णय में अभिलिखित करेगा| दावा अधिकरण **मयूर अरोड़ा बनाम अमित**, 2011(1) टी.ए.सी. 878 में निर्धारित सिद्धांतों का जाँच हेतु अनुसरण करेगा| यदि बीमा कंपनी स्थानीय आयुक्त को शुल्क देने को तैयार है तो दावा अधिकरण स्थानीय आयुक्त को साक्ष्य के अभिलेखन हेतु निर्देशित कर सकता है |

34. **<u>सत्य का पता लगाना दावा अधिकरण का कर्तव्य</u>**

वि.दु.आ. के आधार पर अधिनिर्णय पारित करने से पहले, दावा अधिकरण खुद को संतुष्ट करेगा कि वि.दु.आ. में दिए गए कथन सही हैं| वि.दु.आ. जाँच अधिकारी की केवल एक राय है और उसे विधिक साक्ष्य नहीं समझना चाहिए| वि.दु.आ. को दं.प्र.स की धारा 173 के अंतर्गत एक आख्या के जैसे मानना होगा और दावा अधिकरण को दावे के साथ-साथ सभी सुसंगत तथ्यों की सचाई के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करना होगा| उदाहरण के लिए, मृत्यु के मामले(लों) में, दावा अधिकरण, दावेदार(रों) को मृतक की आयु, व्यवसाय और आय से जुड़े असल

दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश देगा और दावा अधिकरण द्वारा सभी सुसंगत तथ्यों की संतुष्टि के उपरान्त अधिनिर्णय पारित किया जाएगा| उसी प्रकार, चोट के मामले(लों) में, पीड़ित की चोटों के स्वरुप और कार्यात्मक विकलांगता के अनुपात के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए दावा अधिकरण, पीड़ित और उपयुक्त चिकित्सा अभिलेखों का परीक्षण करेगा| दावा अधिकरण पक्षकारों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत परीक्षण करने का विचार करेगा| साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 की सीमा हेतु ***वेद प्रकाश बनाम विमल बिंदल***, (2013) 198 डीएलटी 555 का हवाला लिया जाए|

35. ***<u>दावेदार(रों) को उनके निवास स्थान के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने का निर्देश</u>***

दावा अधिकरण, दावेदार(रों) को उनकी उपस्थिति की पहली तिथि पर ही निर्देशित करेगा कि वह अपने निवास स्थान के निकट राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खुलवाएं और सम्बन्धित बैंक को निर्देशित किया जाएगा कि वह दावेदार(रों) को कोई चेक बुक और/या डेबिट कार्ड(स) जारी नहीं करें और अगर यह पहले ही जारी हो चुके हैं तो बैंक को इसे रद्ध करने का निर्देश दिया जाए और दावेदार(रों) की पासबुक पर पृष्ठांकन किया जाए कि कोई भी चेक बुक और/या डेबिट कार्ड दावेदार(रों) को दावा अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा| दावेदार(रों) को दावा अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति सम्बंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए जिसके पश्चात् सम्बंधित बैंक को पासबुक पर पृष्ठांकन करने का निर्देश होगा| दावेदार(रों) को दावा

अधिकरण के समक्ष पासबुक पर आवश्यक पृष्ठांकन के साथ-साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाए|

36. **<u>अधिनिर्णय को पारित करने से पूर्व दावेदार(रों) का परीक्षण</u>**

36.1 दावा अधिकरण, अधिनिर्णय पारित करने से पहले या पारित करते समय दावेदार(रों) का परीक्षण कर उनकी आर्थिक स्थिति/जरुरते, अदायगी का तरीका और सावधि जमा में रखी जाने वाली राशि पता लगाएगा|

36.2 दावा अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि दावेदार(रों) के निम्न दस्तावेजों को अधिनिर्णय की राशि के संवितरण से पहले अभिलेख पर ले लिया गया है:

(क) आधार कार्ड और पैन कार्ड;

(ख) दावेदार(रों) के निवास स्थान के निकट बैंक खाता(तों) की जानकारी के साथ उचित पृष्ठांकन; और

(ग) दावेदार(रों) के दो सेट फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर

36.3 अधिनिर्णय की राशि के संवितरण से पहले, दावा अधिकरण यह संतुष्ट करेगा कि दावेदार(रों) का बचत बैंक खाता(ते) उनके स्थायी निवास के निकट हैं और दावेदार(रों) की पासबुक पर बैंक द्वारा एक पृष्ठांकन किया गया है कि दावेदार(रों) को कोई भी चेक बुक और/या डेबिट कार्ड, दावा अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा| यदि दावेदार(रों) का बैंक खाता उनके स्थायी निवास के निकट नहीं है, तो दावा अधिकरण अधिनिर्णय की राशि का संवितरण तब तक के लिए स्थागित करेगा जब तक दावेदार(रों) के स्थायी निवास के निकट राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत बैंक खाता(तों) की पासबुक(कों) के साथ आवश्यक पृष्ठांकन दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाए|

36.4 अधिनिर्णय पारित करते समय, दावा अधिकरण यह परीक्षण करेगा कि क्या दावेदार(रों) को टीडीएस की कटौती से छूट का हक़ है/हैं और यदि है, तो दावेदार(रों) को बीमा कम्पनी को प्रपत्र 15जी या 15एच(वरिष्ठ नागरिक हेतु) प्रस्तुत करना होगा ताकि कोई टीडीएस न कटे| दावा अधिकरण इस पहलु पर अधिनिर्णय देते समय परिणाम अभिलिखित करेगा|

37. **<u>प्रपत्र-XIII और XIV - पक्षकारों द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष लिखित निवेदन दाखिल करना</u>**

दोनों पक्ष अपने मुआवज़े की संगणना के सन्दर्भ में लिखित प्रस्तुतियाँ दावा अधिकरण के समक्ष मृत्यु मामले हेतु ***<u>प्रपत्र-XIII</u>*** और चोट मामले हेतु ***प्रपत्र-<u>XIV</u>*** में दायर करेंगे|

38. **<u>अधिनिर्णय राशि जमा करना</u>**

38.1 दावा अधिकरण, बीमा कम्पनी को अधिनिर्णय से 30 दिन के भीतर अधिनिर्णय की राशि जमा करने हेतु या उसे सीधा आरटीजीएस / एनईएफटी / आईएमपीएस द्वारा दावा अधिकरण के बैंक खाते में अंतरण करने का निर्देश देगा| हालाँकि, यदि बीमा कम्पनी आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का निश्चय करती है, तो बीमा कम्पनी अधिनिर्णय की राशि को जमा करने हेतु समय को बढ़ाने की माँग करेगी जिस पर दावा अधिकरण, अधिनिर्णय की तिथि से 90 दिन की समाप्ति तक कठोर कार्यवाही को रोकेगा|

38.2 दावा अधिकरण द्वारा मुआवज़े के भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्यर्थी(गण) मुआवज़े को ज़मा कराने की सूचना दावेदारों को देंगे तथा दावा अधिकरण के समक्ष मुआवज़ा राशि के जमा करने की सूचना की

तिथि तक के ब्याज सहित इसे जमा करने 15 दिनों के भीतर इस सम्बन्ध में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे तथा इसकी एक प्रति दावेदारों तथा उनके अधिवक्ता को भी देंगे| दावेदार(रों) और उनके अधिवक्ताओं का नाम और पता अधिनिर्णय में उल्लिखित किया जाएगा ताकि राशि जमा होने की सूचना जारी हो सके|

39. **<u>अधिनिर्णय राशि की अदायगी</u>**

दावा अधिकरण, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01 मई 2018 द्वारा बनाई गई ***मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी जमा (मो.दु.दा.अ.वा.ज.) योजना*** के तहत अधिनिर्णय को अदा करेगा | ***मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी जमा (मो.दु.दा.अ.वा.ज.) योजना*** की प्रति ***प्रपत्र-XIX*** है| निम्न 21 बैंक ***मो.दु.दा.अ.वा.ज. योजना*** लागू कर रहे हैं:- (i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (ii) पंजाब नैशनल बैंक (iii) यूको बैंक (iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (v) इलाहाबाद बैंक (vi) ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (vii) आईडीबीआई बैंक (vii) इंडियन ओवरसीज़ बैंक (ix) आंध्रा बैंक (x) बैंक ऑफ़ इंडिया (xi) पंजाब एंड सिंध बैंक (xii) बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (xiii) केनरा बैंक (xiv) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (xv) सिंडिकेट बैंक (xvi) कोर्पोरेशन बैंक (xvii) देना बैंक (xviii) यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (xix) यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (xx) इंडियन बैंक (xxi) विजया बैंक

40. **<u>अधिनिर्णय राशि का रक्षण</u>**

दावेदार(रों) की आर्थिक स्थिति और आर्थिक ज़रूरत के आधार पर दावा अधिकरण उतनी राशि रिलीज़ करेगा जो आवश्यक समझी जाए और बकाया राशि को सावधि जमा में चरणबद्ध रूप में रखने का निर्देश देगा (उदाहरण के लिए, यदि दावेदार(रों) को रू. 5,50,000/- की राशि दी गई

है, तो रू. 50,000/- तुरंत दिए जा सकते हैं और रू. 5,00,000/- की बकाया राशि रू. 10,000 की 50 सावधि जमा में दावेदार(रों) के नाम पर एक से 50 माह तक की अवधि के लिए क्रमशः संचयी ब्याज के साथ रखी जा सकती है)| दावा अधिकरण सावधि जमा के सम्बन्ध में निम्न शर्तें लगाएगा:-

(क) दावेदार(रों) के बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में कोई भी संयुक्त नाम(मों) को जोड़ने की अनुमति बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात दावेदार(रों) का बचत बैंक खाता व्यक्तिगत बचत बैंक खाता होगा और संयुक्त खाता नहीं|

(ख) असल सावधि जमा बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी| परन्तु, वह विवरण जिसमें एफडीआर संख्या, एफडीआर राशि, परिपक्वता की तिथि और परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट होगी, बैंक द्वारा दावेदार(रों) को दी जाएगी|

(ग) मासिक ब्याज़ इलेक्ट्रौनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) द्वारा दावेदार(रों) के अपने निवास के निकट बचत बैंक खाते में जमा किया जाए|

(घ) एफडीआर की परिपक्वता राशि(याँ) इलैक्ट्रौनिक क्लीयरिंग सिस्टम(ईसीएस) द्वारा दावेदार(रों) के अपने निवास के निकट बचत बैंक खाते में जमा की जाए|

(ङ) न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी ऋण, अग्रिम राशि, प्रत्याहरण या समय से पूर्व मोचन स्वीकृत नहीं होगी|

(च) सम्बंधित बैंक दावेदार(रों) को कोई भी चेक बुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा| परन्तु, यदि डेबिट कार्ड और/या चेक बुक पहले ही जारी हो चुकी हैं, तो बैंक इसे अधिनिर्णय की राशि के अदायगी से पूर्व ही रद्द कर देगा| बैंक को दावेदार(रों) के खाते पर रोक लगानी होगी ताकि उस खाते के सम्बन्ध में बैंक के किसी अन्य शाखा द्वारा डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जा सके|

(छ) बैंक दावेदार(रों) की पासबुक पर पृष्ठांकन करेगा कि कोई चेक बुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा और दावेदार(रों) को न्यायालय के समक्ष पासबुक के साथ आवश्यक पृष्ठांकन अनुपालन हेतु निर्धारित अगली तिथि पर प्रस्तुत करना होगा|

(ज) यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा दावेदार(रों) की पासबुक पर विधिवत हस्ताक्षर और मुद्रण के साथ किया गया पृष्ठांकन उपरोक्त शर्त का पर्याप्त अनुपालन है|

41. **<u>प्रपत्र-XVII-दावा अधिकरण अधिनिर्णय के प्रावधानों के अनुपालन को देखेगा</u>**

41.1 दावा अधिकरण मृत्यु के मामलों हेतु अधिनिर्णय में मुआवज़े की संगणना के सार को **प्रपत्र-XV** तथा चोट के मामलों हेतु **प्रपत्र-XVI** में सम्मिलित करेगा|

41.2 दावा अधिकरण इस योजना के अनुपालन से निपटेगा विशेषतः इससे कि क्या पुलिस के जाँच अधिकारी के द्वारा और/अथवा बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई विलम्ब अथवा कमी तो नहीं हुई| पुलिस के जाँच अधिकारी द्वारा किसी भी विलम्ब अथवा कमी की स्थिति में दावा अधिकरण संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसकी सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि की सिफारिश करने पर विचार कर सकता है| बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी की ओर से विलम्ब अथवा कमी होने की स्थिति में दावा अधिकरण संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि की सिफारिश पर विचार कर सकता है अथवा संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद व्यतिक्रम अधिकारी पर खर्च/व्यय अधिरोपित करके/व्यतिक्रम रूप से अधिकारी के वेतन से दंड/ब्याज की वसूली कर सकता है| दावा अधिकरण अधिनिर्णय में इस योजना के अनुपालन को **प्रपत्र-XVII** में सम्मिलित करेगा|

42. **<u>दावा अधिकरण अनुपालन के प्रतिवेदन की तारीख तय करेगा</u>**

42.1 दावा अधिकरण अधिनिर्णय में ही अनुपालन के प्रतिवेदन की तारीख तय करेगा| दावा अधिकरण बीमा कंपनी और/अथवा चालक/मालिक को आज की तारीख तक के ब्याज सहित मुआवज़े की राशि जमा कराने का प्रमाण, जमा कराने का नोटिस तथा तय तिथि पर ब्याज के परिकलन को अभिलेख पर प्रस्तुत करने के निर्देश देगा | ऐसा प्रमाण दायर करने पर दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जमा कराने की सूचना की तिथि तक का ब्याज संबंधित पक्ष द्वारा जमा करा दिया गया है|

42.2 यदि अधिनिर्णय राशि नियत अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तो दावा अधिकरण **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कश्मीरी लाल**, (2005) 125 डी.एल.टी. 571 में निर्धारित सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार अधिनिर्णय के 90 दिनों के पश्चात् बीमा कंपनी के बैंक खाते को कुर्क कर लेगा|

42.3 दावा अधिकरण **भंडारी इंजिनियर एवं बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महारिया राज जॉइंट वेंचर**, MANU/DE/1497/2020 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतो के निबंधनों के अनुसार अपने अधिनिर्णय का निष्पादन करेगा|

42.4 यदि दावा अधिकरण का अधिनिर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में रोक दिया जाता है तो दावा अधिकरण, दावेदार(रों) को स्वतंत्रता देते हुए कि वह अपील के निर्णय के बाद इसे पुनः आरम्भ कर सकते हैं, मामले को समाप्त कर देगा|

43. **<u>वि.दु.आ. के साथ-साथ अधिनिर्णय की प्रति संबंधित महानगर दंडाधिकारी को प्रेषित करना</u>**

43.1 दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय की प्रमाणित प्रति को दावा अधिकरण संबंधित महानगर दंडाधिकारी को भेजेगा |

43.2 जाँच अधिकारी संबंधित महानगर दंडाधिकारी के समक्ष वि.दु.आ. की एक प्रति को इसे दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर दाखिल करेगा|

43.3 जाँच अधिकारी दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय की प्रति को संबंधित महानगर दंडाधिकारी के समक्ष अधिनिर्णय पारित करने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगा|

44. अधिनिर्णय की प्रति दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना

दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रति दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा |

45. प्रपत्र - XVIII दावा अधिकरण के अधिनिर्णयों का अभिलेख

दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णयों का अभिलेख अधिनिर्णय की तिथि के अनुसार कालानुक्रम में इस प्रकार रखा जाएगा कि मुवक्किल/अधिवक्ता के लिए ये सुनिश्चित करना आसान हो जाए कि मुआवजा प्राप्त हुआ है या नहीं | अधिनिर्णय के अभिलेख का प्रारूप प्रपत्र -XVIII में दिया जायेगा |

46. प्रपत्र -XII पीड़ित प्रभाव आख्या (पी.प्र.आ.) दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दोषसिद्धि के 30 दिन के भीतर महानगर दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल करना

आपराधिक मामले में चालक की दोषसिद्धि के पश्चात, विद्वान महानगर दंडाधिकारी निर्णय की प्रति और साथ में ही अभियुक्त की संपत्ति और आय के सम्बन्ध में एक शपथपत्र दि.रा.वि.से.प्रा. को भेजेंगे जिसके बाद दि.रा.वि.से.प्रा. एक संक्षिप्त जाँच करेगा और दोषसिद्धि के 30 दिन के भीतर विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को निर्णीत Crl. A. 352/2020 ***करण बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य,*** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार **पीड़ित**

प्रभाव आख्या (पी.प्र.आ.) प्रस्तुत करेगा | पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित **पीड़ित प्रभाव आख्या** इसके साथ **प्रपत्र -XII** में संलग्न है |

प्रपत्र - I

प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)

जाँच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना की सूचना मिलने के 48 घंटों के भीतर प्रेषित

पीड़ित(गण), बीमा कंपनी और दि.रा.वि.से.प्रा. को प्रति प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**दुर्घटना की तारीख**	
2.	**दुर्घटना का समय**	
3.	**दुर्घटना का स्थान**	
4.	**सूचना का स्रोत**	□ चालक/मालिक □ पीड़ित □ साक्षी □ अस्पताल □ अच्छा नागरिक □ पुलिस □ अन्य (निर्दिष्ट करें)
	सूचना देने वाले का नाम, मोबाइल नं. और पता	
	नाम	
	मोबाइल नं	
	पता	
5.	**दुर्घटना की प्रकृति**	□ चोट □ घातक □ संपत्ति का नुकसान/ हानि □ कोई और हानि/चोट
	लिप्त वाहनों की संख्या	
	क्या अपराध में लिप्त वाहन की पंजीकरण संख्या ज्ञात है	□ हाँ □ नहीं
	क्या अपराध में लिप्त वाहन को पुलिस द्वारा ज़ब्त किया गया	□ हाँ □ नहीं

	क्या नुकसान पहुँचाने वाले वाहन का चालक मौके पर मिला	□ हाँ □ नहीं
	मृतकों की संख्या	
	घायलों की संख्या	
6.	**अस्पताल का विवरण जहाँ पीड़ित(गण) को ले जाया गया**	
	अस्पताल का नाम	
	पता	
	चिकित्सक का नाम	
7.	**सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता** यदि हाँ, तो सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर वि.दु.आ. के साथ दाखिल की जाए	□ हाँ □ नहीं
8.	**वाहन के मालिक(कों), चालक(कों) और बीमे का विवरण**	

	विवरण	**वाहन 1 (अपराध में लिप्त वाहन)**	**वाहन 2**
	वाहन का विवरण		
	वाहन पंजीकरण सं.		
	चालक का विवरण		
	चालक का नाम		
	चालक का पता		
	चालक का मोबाइल नं.		
	मालिक का विवरण		
	मालिक का नाम		
	मालिक का पता		
	मालिक का मोबाइल नं.		
	बीमे का विवरण		
	बीमा पालिसी सं.		
	बीमा पालिसी की अवधि		
	बीमा कंपनी का नाम		
	बीमा कंपनी का पता		

9.	**पीड़ित(गण) का विवरण**		
	नाम	**मृत/घायल**	**पता और संपर्क विवरण**
i.			
ii.			

iii.			
iv.			
v.			
vi.			

थानाध्यक्ष / जाँच अधिकारी

पी.आई.एस. सं.: _____

दूरभाष सं.: _____

थाना: _____

दिनांक: _____

<u>संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:</u>

(i) प्राथमिकी की प्रति

प्रपत्र - II

<u>सड़क दुर्घटना के पीड़ित (गण) के अधिकार एवं इस योजना का प्रवाह चित्र</u>

जाँ.अ. द्वारा पीड़ित/परिवार जनों/ विधिक प्रतिनिधियों को दुर्घटना के 10 दिन के भीतर प्रेषित करना

1. तुरंत चिकित्सा सहायता एवं उपचार का अधिकार |
2. प्राथमिकी की प्रति का अधिकार |
3. प्रपत्र-I में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (प्र.दु.आ.) की प्रति का अधिकार |
4. प्रपत्र-II में पीड़ित के अधिकार एवं इस योजना के प्रवाह चित्र की प्रति का अधिकार |
5. दस्तावेजों के साथ चालक प्रपत्र-III की प्रति का अधिकार |
6. दस्तावेजों के साथ मालिक प्रपत्र-IV की प्रति का अधिकार |
7. दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-V में अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (अ.दु.आ.) की प्रति का अधिकार |
8. पीड़ित प्रपत्र -VI-ए और प्रपत्र -VI-बी के प्रपत्र की रिक्त प्रति का अधिकार |
9. दस्तावेज़ सहित प्रपत्र-VII में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (वि.दु.आ.) की प्रति का अधिकार |
10. बीमा प्रपत्र -XI की प्रति का अधिकार |
11. दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट की प्रति का अधिकार |
12. प्रपत्र-XII में पीड़ित व्यक्ति संघात रिपोर्ट की प्रति का अधिकार|
13. एम.एल.सी. और शव-परीक्षण रिपोर्ट की प्रति का अधिकार |
14. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त कानूनी सहायता का अधिकार |
15. दावा अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने का अधिकार |
16. पीड़ित के नाबालिग बच्चे/बच्चों (18 वर्ष या उससे कम आयु वाले) को जाँ.अ. द्वारा उनकी जरूरतों और स्थिति के बारे में पूछ-ताछ के लिए बाल कल्याण समिति भेजे जाने का अधिकार |
17. पीड़ित व्यक्ति के नाबालिग बच्चे/ बच्चों (18 वर्ष या उससे कम आयु वाले) को बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा जरूरतें, सुरक्षा, पोषण आदि के विषय में जाँच का अधिकार |
18. पीड़ित के नाबालिग बच्चे/बच्चों (18 साल या उससे कम आयु वाले) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सभी लाभ पाने का अधिकार यदि बाल कल्याण समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उक्त बालक देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक (दे.स.आ.बा.) है |
19. पीड़ित के ऐसे नाबालिग बच्चे/ बच्चों को बाल गृह में रखे जाने का अधिकार यदि उसके दोनों माता-पिता की मृत्यु हो गई है या यदि जीवित माता या

पिता बालक की देख-भाल करने में अक्षम हैं, जैसा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रावधान है |

20. मोटर दुर्घटना के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत मुआवज़े का अधिकार |

इस योजना का प्रवाह संचित्र संलग्न है |

थानाध्यक्ष / जाँच अधिकारी

पी.आई.एस. सं.: _____

दूरभाष सं.: _____

थाना: _____

दिनांक: _____

<u>पीड़ित/परिवार जनों/विधिक प्रतिनिधियों की अभिस्वीकृति</u>

मुझे योजना का यह प्रपत्र और प्रवाह चित्र रिक्त पीड़ित प्रपत्र -VI-ए और प्रपत्र -VI-बी की प्रति के साथ प्राप्त हुआ है |

_____

पीड़ित/परिवार जनों/विधिक प्रतिनिधि गण

दिनांक: _____

मोटर दुर्घटना दावा योजना का प्रवाह चित्र

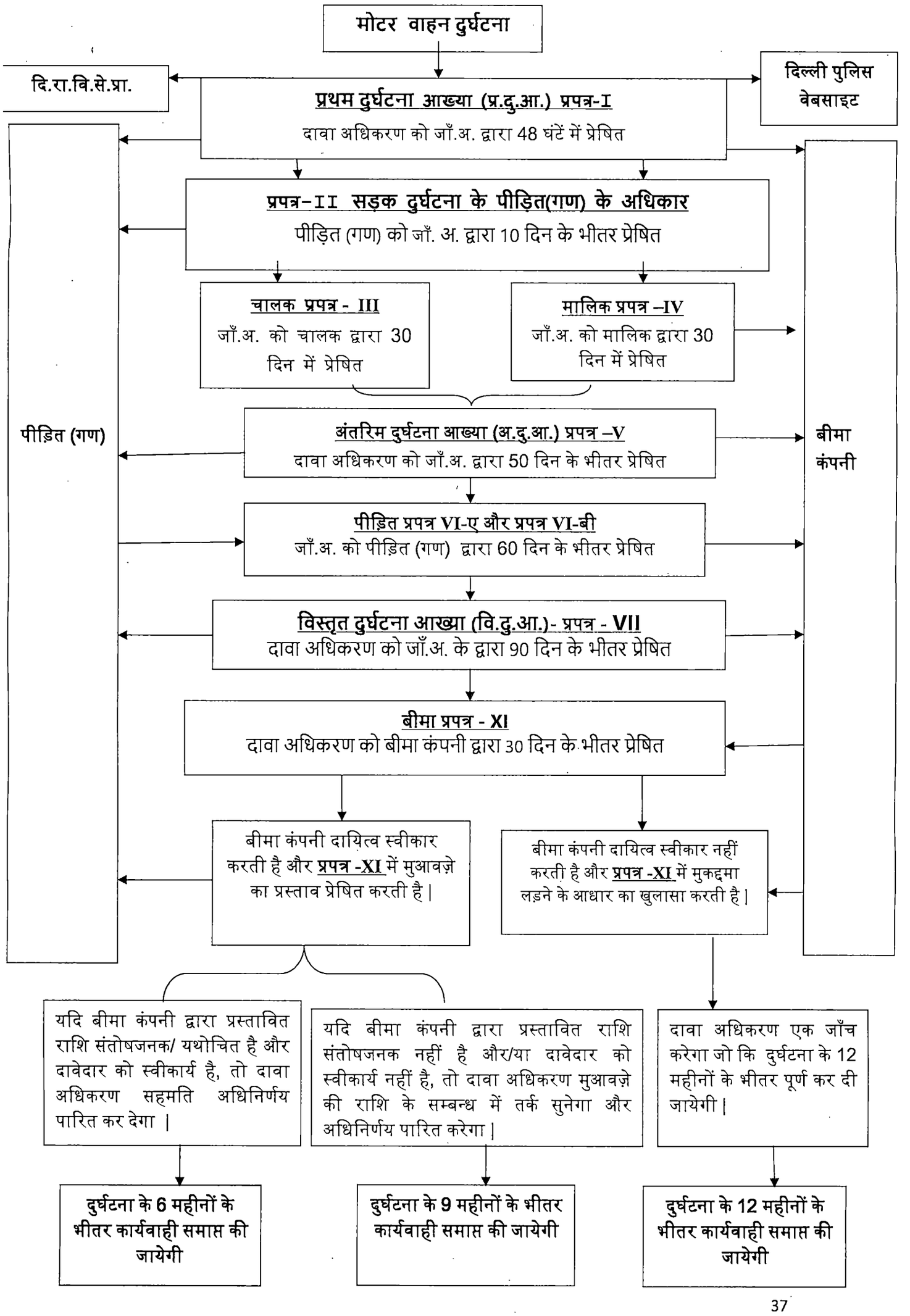

प्रपत्र -III

चालक प्रपत्र

चालक द्वारा जाँच अधिकारी को दुर्घटना के 30 दिन के भीतर प्रेषित

पीड़ित(गण) और बीमा कंपनी को प्रति प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**चालक का विवरण**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
2.	**उम्र/ जन्म तिथि**	
3.	**लिंग**	☐ महिला ☐ पुरुष ☐ अन्य
4.	**शैक्षिक योग्यता**	☐ प्राथमिक ☐ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ☐ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ डॉक्टरेट ☐ अशिक्षित
5.	**व्यवसाय**	☐ निजी कार्य ☐ सरकारी नौकरी ☐ वृत्तिक ☐ कृषि ☐ स्वरोज़गार ☐ अन्य
6.	**मासिक आय**	रु.
7.	**चालक अनुज्ञप्ति**	☐ स्थायी ☐ नौसिखिया ☐ किशोर ☐ बिना अनुज्ञप्ति ☐ अन्य (निर्दिष्ट करें)
8.	**चालक अनुज्ञप्ति सं.**	

9.	**अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि**	
10.	**अनुज्ञप्ति प्राधिकरण**	
11.	**वाहन पंजीकरण सं.**	
12.	**वाहन का प्रकार**	
13.	**मालिक का विवरण**	
	नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
14.	**बीमा विवरण**	
	पॉलिसी सं.	
	पॉलिसी की अवधि	
	बीमा कंपनी का नाम	

<u>सत्यापन</u>

_____ में वर्ष ____ माह _____ के _____वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा संलग्न दस्तावेज़ात अपने मूल की सही प्रतियाँ हैं |

चालक की फोटो
और हस्ताक्षर

<u>संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:</u>

i. पहचान पत्र/ पते का प्रमाण
ii. चालक अनुज्ञप्ति
iii. बीमा पॉलिसी

प्रपत्र - IV

<u>मालिक प्रपत्र</u>

वाहन(नों) के मालिक द्वारा जांच अधिकारी को दुर्घटना के 30 दिन के भीतर प्रेषित पीड़ित(गण) तथा बीमा कंपनी को प्रति प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**वाहन विवरण**	
	पंजीकरण सं.	
	रंग	
	वाहन निर्माता	
	मॉडल	
	विनिर्माण का वर्ष	
	चैसिस सं.	
	इंजन सं.	
	पंजीकरण प्राधिकरण का नाम	
	वाहन प्रकार	▪ मोटरयुक्त दोपहिया वाहन ▪ ऑटो ▪ कार/जीप/टैक्सी ▪ साइकिल ▪ रिक्शा ▪ बाइसिकिल ▪ हाथ चालित ठेला ▪ टैम्पो/ट्रैक्टर ▪ बस ▪ ट्रक/लॉरी ▪ पशु चालित ठेला ▪ भारी वाहन/ट्राली ▪ अज्ञात ▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	वाहन प्रयोग का प्रकार	▪ निजी वाहन ▪ व्यावसायिक वाहन ▪ भारवाहक ▪ कचरे का ट्रक ▪ टैक्सी/भाड़े वाला वाहन ▪ लोक सेवा वाहन ▪ शैक्षिक संस्थान बस

		▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
2.	**मालिक विवरण**	
	नाम *कंपनी के मामले में, मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 199 के अनुसार प्रभारी व्यक्ति का नाम दें*	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	व्यवसाय	
3.	**चालक विवरण**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	चालक अनुज्ञप्ति सं.	
	वैधता की अवधि	
	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी	
4.	**बीमा विवरण**	
	पालिसी सं.	
	पालिसी की अवधि	
	बीमा कंपनी का नाम	
	बीमा कंपनी का पता	
	पूर्व बीमा पालिसी का विवरण	
	क्या वाहन पहले भी किसी मो.दु.दा.प्रा. मामले में लिप्त रहा है? *यदि हाँ, तो प्राथमिकी तथा* मो.दु.दा.प्रा. *मामले का विवरण दें।*	
5.	**व्यावसायिक वाहन की स्थिति में**	
	परमिट विवरण	
	फिटनेस विवरण	
6.	**क्या मालिक ने दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी**	▪ हाँ ▪ नहीं

सत्यापन

_______ में वर्ष _____ माह ______ के _______वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा संलग्न दस्तावेज़ात अपने मूल की सही प्रतियाँ हैं |

मालिक का फोटो एवं हस्ताक्षर

संलग्न होने वाले दस्तावेज़ात :

(i) पहचान पत्र/पते का प्रमाण

(ii) पंजीकरण प्रमाणपत्र

(iii) चालक का चालक अनुज्ञप्ति

(iv) बीमा पालिसी

(v) परमिट

(vi) फिटनेस

प्रपत्र - V

<u>अंतरिम दुर्घटना आख्या (अ.दु.आ.)</u>

जांच अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना के 50 दिन के भीतर प्रेषित

पीड़ित(गण), बीमा कंपनी तथा दि.रा.वि.से.प्रा. को प्रति प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1	**दुर्घटना की तिथि**	
2.	**दुर्घटना का समय**	
3.	**दुर्घटना का स्थान**	
4.	**अपराध में लिप्त वाहन**	
	पंजीकरण सं.	
	वाहन निर्माता	
	वाहन मॉडल	
5.	**अपराध में लिप्त वाहन का चालक**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	चालक अनुज्ञप्ति	▪ स्थायी ▪ नौसिखिया ▪ किशोर ▪ बिना अनुज्ञप्ति के ▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	चालक अनुज्ञप्ति सं.	
	अनुज्ञप्ति की वैधता	
	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी	
6.	**अपराध में लिप्त वाहन का मालिक**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	

7.	**व्यावसायिक वाहन के मामले में**	
	परमिट विवरण	
	फिटनेस विवरण	
8.	**बीमा विवरण**	
	पालिसी सं.	
	पालिसी की अवधि	
	बीमा कंपनी का नाम	
	बीमा कंपनी का पता	
9.	**दुर्घटना के साक्षी(गण)**	
	साक्षी सं. 1. नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	साक्षी सं. 2. नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	साक्षी सं. 3. नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
	साक्षी सं. 4. नाम	
	मोबाइल नं.	
	पता	
10.	**दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण**	
11.	**अनुपालन का विवरण**	
(i)	*प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)* को दर्ज करने की तिथि	
(ii)	दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर प्र.दु.आ. को अपलोड करने की तिथि	
(iii)	बीमा कंपनी को प्राथमिकी एवं प्र.दु.आ. भेजे जाने की तिथि	
(iv)	पीड़ित(गण) को प्राथमिकी, प्रपत्र-II एवं प्र.दु.आ. भेजे जाने की तिथि	
(v)	चालक की ओर से प्रपत्र-III प्राप्त होने	

	की तिथि	
(vi)	मालिक की ओर से प्रपत्र-IV प्राप्त होने की तिथि	
(vii)	बीमा कंपनी को प्रपत्र-III एवं प्रपत्र-IV भेजे जाने की तिथि	
(viii)	पीड़ित(गण) को प्रपत्र-III एवं प्रपत्र-IV भेजे जाने की तिथि	
(ix)	क्या चालक/मालिक की जानकारी/दस्तावेज़ात का सत्यापन किया गया है? *यदि हाँ, तो सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।*	▪ हाँ ▪ नहीं

थानाध्यक्ष/जांच अधिकारी

पी.आई.एस. नं.: _____

दूरभाष सं.: _____

थाना: _____

तिथि: _____

<u>संलग्न होने वाले दस्तावेज़ात:-</u>

(i) प्रथम दुर्घटना आख्या (प्र.दु.आ.)

(ii) चालक द्वारा जमा दस्तावेज़ात के साथ चालक प्रपत्र-II

(iii) मालिक द्वारा जमा दस्तावेज़ात के साथ मालिक प्रपत्र-III

(iv) सत्यापन आख्या

प्रपत्र - VI ए

<u>पीड़ित प्रपत्र</u>

दुर्घटना के 60 दिन के भीतर पीड़ित(गण) द्वारा जांच अधिकारी को प्रेषित

बीमा कंपनी तथा दि.रा.वि.से.प्रा. को प्रति प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**दुर्घटना की तिथि**	
2.	**दुर्घटना का समय**	
3.	**दुर्घटना का स्थान**	
4.	**मामले की प्रकृति**	▪ साधारण चोट ▪ गंभीर चोट ▪ घातक ▪ संपत्ति का नुकसान/हानि ▪ अन्य कोई हानि/चोट
5.	**अपराध में लिप्त वाहन की पंजीकरण सं.**	
6.	**मालिक विवरण**	
	नाम	
	पता	
7.	**चालक विवरण**	
	नाम	
	पता	
8.	**बीमा विवरण**	
	पालिसी सं.	
	पालिसी की अवधि	
	बीमा कंपनी का नाम	
	<u>मृत्यु का मामला</u>	
9.	**मृतक का नाम**	
10.	**पिता का नाम**	
11.	**आयु/जन्म तिथि**	
12.	**मृत्यु की तिथि**	
13.	**मृतक का लिंग**	
14.	**मृतक की वैवाहिक स्थिति**	
15.	**मृतक का व्यवसाय**	

16.	**यदि मृतक कार्यरत था तो उसके नियोक्ता का नाम एवं पता दें**	
17.	**मृतक की आय**	
18.	**क्या मृतक के आय कर का आकलन हुआ** *यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों के आय कर विवरणी की प्रति जमा करें*	▪ हाँ ▪ नहीं
19.	**क्या मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था**	▪ हाँ ▪ नहीं
20.	**मृत्यु पूर्व मृतक को दिए गए चिकित्सा उपचार का विवरण। खर्च हुए चिकित्सा व्यय का विवरण दें**	
21.	**क्या पीड़ित को अपने नियोक्ता से या मेडीक्लेम पालिसी के अंतर्गत या किसी सरकारी कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत या सरकारी बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा-व्ययों की प्रतिपूर्ति की गई** *यदि हाँ, तो विवरण दें*	

22. **मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण के नाम, आयु, लिंग, संबंध तथा वैवाहिक स्थिति**

	नाम	आयु/जन्म तिथि	लिंग	संबंध	वैवाहिक स्थिति
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					

23. **मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण के नाम, दूरभाष सं. तथा पता**

	नाम	दूरभाष सं.	वर्तमान तथा स्थायी पता
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			

(vi)			

24.	**18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में**			
	बच्चे का नाम	**बच्चे के विद्यालय एवं कक्षा का विवरण**	**वार्षिक विद्यालय शुल्क**	**बच्चे का अनुमानित खर्च**
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				

<u>**चोट का मामला**</u>

25.	**घायल का नाम**	
26.	**पिता का नाम**	
27.	**घायल का पता**	
28.	**घायल का दूरभाष नं.**	
29.	**आयु/जन्म तिथि**	
30.	**घायल का लिंग**	
31.	**घायल की वैवाहिक स्थिति**	
32.	**घायल का व्यवसाय**	
33.	**यदि घायल कार्यरत था तो नियोक्ता का नाम एवं पता दें**	
34.	**घायल की आय**	
35.	**क्या घायल के आय कर का आकलन हुआ** *यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों के आय कर विवरणी की प्रति जमा करें*	▪ हाँ ▪ नहीं
36.	**चोट की प्रवृत्ति एवं विवरण**	
37.	**घायल द्वारा लिया गया चिकित्सीय उपचार**	
38.	**अस्पताल का नाम एवं अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि** अस्पताल का नाम अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि चिकित्सक का नाम	

39.	**शल्य चिकित्सा, यदि कोई हुई हो, का विवरण**	
40.	**क्या कोई स्थायी विकलांगता** *यदि हाँ, तो विवरण दें*	▪ हाँ ▪ नहीं

41.	**घायल के परिवार का विवरण**			
	नाम	**आयु/जन्म तिथि**	**लिंग**	**संबंध**
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				

42.	**18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में**			
	बच्चे का नाम	**बच्चे के विद्यालय एवं कक्षा का विवरण**	**वार्षिक विद्यालय शुल्क**	**बच्चे का अनुमानित खर्च**
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				

43.	**उठाए गए आर्थिक नुकसान**	
(i)	उपचार पर खर्च	
(ii)	यदि उपचार अभी भी जारी है तो भविष्य में होने वाले उपचार पर आने वाले संभावित व्यय का आकलन दें	
(iii)	परिवहन, विशेष आहार, परिचारक शुल्क आदि पर खर्च	
(iv)	आय की हानि	

(v)	उपार्जन क्षमता की हानि	
(vi)	अन्य कोई आर्थिक हानि/क्षति	
44.	**क्या घायल को अपने नियोक्ता से या मेडीक्लेम पालिसी के अंतर्गत या किसी सरकारी कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत या सरकारी बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा-व्ययों की प्रतिपूर्ति की गई** *यदि हाँ, तो विवरण दें*	▪ हाँ ▪ नहीं
45.	**संपत्ति को हुई हानि/क्षति का मूल्य**	
46.	**कोई अतिरिक्त सूचना**	
47.	**दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण**	
48.	**दावा किया गया मुआवजा**	

<u>मृत्यु के मामलों में जमा करने वाले दस्तावेज़ात:-</u>

1. मृत्यु प्रमाणपत्र
2. मृतक की आयु का प्रमाण जो कि (क) जन्मतिथि प्रमाणपत्र; (ख) विद्यालय प्रमाणपत्र; (ग) ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र (निरक्षर की दशा में); (घ) आधार कार्ड, आदि के रूप में हो सकता है।
3. मृतक के व्यवसाय एवं आय का प्रमाण जो कि (क) वेतन पर्ची/वेतन प्रमाणपत्र (वैतनिक कर्मचारी) (ख) पिछले 6 महीनों का बैंक खाता विवरण (ग) पिछले 3 वर्षों की आय कर विवरणी (घ) तुलन पत्र आदि के रूप में हो सकता है।
4. मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण के प्रमाण जैसे कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, आदि।
5. 18 वर्ष से कम आयु के विधिक उत्तराधिकारियों के मामले में, विद्यालय पहचान पत्र की प्रति, विद्यालय शुल्क का प्रमाण, बच्चों के अन्य खर्च/व्यय का प्रमाण।
6. मृत्यु से पहले का उपचार अभिलेख, चिकित्सा बिल तथा अन्य खर्च|
7. मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण का बैंक खाता सं. जो उनके निवास स्थान के निकट हो एवं आवश्यक पृष्ठांकन सहित बैंक का नाम और पता
8. नियोक्ता द्वारा या मेडीक्लेम पालिसी के अंतर्गत यदि चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति की गयी हो तो उसका प्रमाण
9. अन्य कोई दस्तावेज़

<u>चोट के मामलों में:</u>

1. घायलों की बहुकोणीय तस्वीरें
2. घायलों की आयु का प्रमाण जो (क) जन्म प्रमाण पत्र; (ख) स्कूल प्रमाणपत्र: (ग) ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र (निरक्षर के मामले में); (घ) आधार कार्ड आदि के रूप में हो सकता है।
3. घायलों के व्यवसाय और आय का प्रमाण जो (क) वेतन स्लिप/ वेतन प्रमाणपत्र (वेतनभोगी कर्मचारी) (ख) पिछले छह महीने का बैंक का विवरण; (ग) पिछले तीन साल की आयकर विवरणी; (घ) तुलन-पत्र आदि के रूप में हो सकता है।
4. उपचार अभिलेख, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय। निरंतर उपचार की दशा में भविष्य के चिकित्सा व्यय का प्रमाण दें।
5. काम से अनुपस्थिति का प्रमाण जहाँ चोट के कारण आय की हानि का दावा किया गया है जो (क) नियोक्ता से प्रमाणपत्र (ख) हाजरी रजिस्टर से उद्धरण के रूप में हो सकता है।
6. 18 वर्ष से कम आयु के विधिक उत्तराधिकारियों की दशा में, स्कूल पहचानपत्र के प्रति, स्कूल शुल्क का प्रमाण, बच्चों के अन्य व्यय/खर्चों का प्रमाण।
7. आवश्यक पृष्ठांकन सहित घायल के निवास स्थान के निकट बैंक का नाम और पता सहित उसकी बैंक खाता संख्या।
8. नियोक्ता द्वारा या मेडिक्लैम पॉलिसी, अगर हो, के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रमाण।
9. कोई अन्य दस्तावेज़।

मृत्यु के मामले में, मृतक की फ़ोटो यहां चिपकाएं

<u>सत्यापन:</u>

_____ में वर्ष ____ माह _____ के _____वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा संलग्न दस्तावेज़ात अपने मूल की सही प्रतियाँ हैं |

घायल/मृतक के विधिक प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर			
क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर	फ़ोटो
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

प्रपत्र – VI- बी

<u>पीड़ित(गण) के नाबालिग़ बच्चों से संबंधित पीड़ित प्रपत्र</u>

पीड़ित(गण) द्वारा दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को

बीमा कंपनी, बाल कल्याण समिति और दि.रा.वि.से.प्रा. को प्रति

प्राथमिकी संख्या	
दिनांक	
धारा	
थाना	

नाबालिग़ बच्चों का विवरण (18 वर्ष या उससे कम)					
क्र.स.	बच्चों का विवरण	बच्चा 1	बच्चा 2	बच्चा 3	बच्चा 4
1	नाम				
2	आयु/जन्म तिथि				
3	लिंग				
4	अनु.जा./अनु.जन./अ.पि.व./सामान्य				
5	पिता का नाम				
6	माता का नाम				
7	अभिभावक का नाम (यदि माता-पिता से भिन्न है)				
8	परिवार की आय (वार्षिक)				
9	स्थाई पता				
10	वर्तमान पता				
11	पिता/माता/परिवार के सदस्य का संपर्क सं.				
12	क्या बच्चा दिव्यांग है: यदि हाँ, तो विवरण दें				
13	वर्तमान रहन-सहन की परिस्थितयां/आर्थिक परिस्थिति (दुर्घटना के बाद)				
बच्चों की शिक्षा का विवरण					
14	शिक्षा की वर्तमान स्थिति				
	शिक्षा का स्तर (कक्षा)				
	क्या बच्चा ईडब्लूएस के तहत नामांकित है				
15	यदि स्कूल नहीं जा रहा है, कारण बताया जाए				

16	**जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी विस्तृत जानकारी**				
	निगम/नगरपालिका/पंचायत				
	सरकारी/अन्य बोर्ड				
	निजी प्रबंधन				
17	**शिक्षा पर/का खर्च**				
	मासिक स्कूल ट्यूशन शुल्क				
	वार्षिक स्कूल शुल्क				
	निजी ट्यूशन/कोचिंग शुल्क				
	कोई अन्य खर्च/रसद शुल्क				
18	**व्यावसायिक प्रशिक्षण / कौशल विकास, यदि कोई हो**				
	कौशल विकास का प्रकार				
	आने वाली लागत				
स्वास्थ्य और पोषण					
19	**बच्चे की शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति (किसी भी विकलांगता के मामले में चिकित्सा जांच रिपोर्ट सहित)**				
	यदि बच्चे को कोई चोट हो तो उसका विवरण प्रदान करें				
	दुर्घटना के कारण शरीर के किसी अंग की हानि				
20	**बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति**				
	क्या तत्काल मनोवैज्ञानिक परामर्श/उपचार/सहायता की आवश्यकता है				
	क्या दीर्घकालिक सहायता की आवश्यकता है				
21	**चिकित्सा व्यय, यदि कोई हो**				
	तत्काल चिकित्सा उपचार की लागत				
	दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की लागत				
22	**आहार एवं पोषण का खर्च**				

<u>प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़</u>

1. स्कूल/शैक्षणिक संस्थान के पहचानपत्र की प्रति
2. आधार कार्ड की प्रति
3. शिक्षा शुल्क का प्रमाण
4. बच्चों के अन्य खर्च/व्यय का प्रमाण
5. चिकित्सा दस्तावेजों की प्रति
6. विकलांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू होता है
7. जाति प्रमाणपत्र की प्रति, यदि लागू होता है

8. आय प्रमाणपत्र की प्रति, यदि लागू होता है

<u>सत्यापन</u>:

_____ में वर्ष _____ माह _____ के _____वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा संलग्न दस्तावेज़ात अपने मूल की सही प्रतियाँ हैं |

_____

पीड़ित(गण)

सभी नाबालिग़ बच्चों का नाम और फ़ोटो

क्र.स.	नाम	फ़ोटो
1.		
2.		
3.		
4.		

टिप्पण :

1. ***प्रपत्र -VI-ए*** और ***VI-बी*** को जांच अधिकारी द्वारा संबंधित बाल कल्याण समिति को भेजा जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या *बच्चे को देखभाल और संरक्षण (ब.दे.सं.)* की आवश्यकता है।
2. बच्चे/बच्चों को उनके कानूनी उपायों/अधिकारों का लाभ उठाने में मदद हेतु वकील नियुक्त करने के लिए ***प्रपत्र -VI-ए*** और ***VI-बी*** की प्रति *दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.रा.वि.से.प्रा.)* को भेजी जाए ।

प्रपत्र -VII

<u>विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)</u>

जांच अधिकारी द्वारा दुर्घटना के 90 दिन के भीतर दावा अधिकरण को पीड़ित(गण), चालक, मालिक, बीमा कंपनी और दि.रा.वि.से.प्रा. को प्रति

प्राथमिकी संख्या	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1	**दुर्घटना की तिथि**	
2	**दुर्घटना का समय**	
3	**दुर्घटना का स्थान**	
4	**दुर्घटना की प्रकृति**	☐ साधारण चोट ☐ गंभीर चोट ☐ घातक चोट ☐ संपत्ति की क्षति /हानि ☐ कोई अन्य हानि/चोट
5	**अपराध में लिप्त वाहन का विवरण**	
	पंजीकरण संख्या	
	बनावट	
	मॉडल	
	वाहन का प्रकार	▪ मोटरयुक्त दोपहिया वाहन ▪ ऑटो ▪ कार/जीप/टैक्सी ▪ साइकिल ▪ रिक्शा ▪ बाइसिकिल ▪ हाथ चालित ठेला ▪ टैम्पो/ट्रैक्टर ▪ बस ▪ ट्रक/लॉरी ▪ पशु चालित ठेला ▪ भारी वाहन/ट्राली ▪ अज्ञात ▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	वाहन के उपयोग का प्रकार	▪ निजी वाहन ▪ व्यावसायिक वाहन ▪ भारवाहक

		▪ कचरे का ट्रक ▪ टैक्सी/भाड़े वाला वाहन ▪ लोक सेवा वाहन ▪ शैक्षिक संस्थान बस ▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
6	**अपराध में लिप्त वाहन का चालक**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नंबर	
	पता	
	चालक अनुज्ञप्ति	☐ स्थायी ☐ नौसिखिया ☐ किशोर ☐ बिना अनुज्ञप्ति ☐ अन्य (निर्दिष्ट करें)
	चालक अनुज्ञप्ति संख्या	
	अनुज्ञप्ति की वैधता	
	अनुज्ञप्ति प्राधिकरण	
7	**अपराध में लिप्त वाहन का मालिक**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	मोबाइल नंबर	
	पता	
8	**अपराध में लिप्त वाहन का बीमा**	
	पालिसी संख्या	
	पालिसी की अवधि	
	बीमा कंपनी का नाम	
9	**क्या प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति को सत्यापित किया गया है।** *यदि हाँ, तो रिपोर्ट संलग्न करें* *यदि नहीं, तो कारण बताएं*	☐ हाँ ☐ नहीं
10	**क्या चालक अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द किया गया है** *यदि हाँ, तो विवरण दें*	
11	**क्या दुर्घटना में चालक घायल हुआ** *यदि हाँ, तो विवरण दें*	☐ हाँ ☐ नहीं
12	**वाहन चलाया गया**	☐ मालिक द्वारा ☐ पेड ड्राईवर द्वारा ☐ अन्य (उल्लेख करें)

13	**क्या चालक शराब/नशे में चला रहा था** *क्या निष्कर्ष वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर हैं।* *यदि हाँ, तो विवरण दें*	☐ हाँ ☐ नहीं
14	**क्या दुर्घटना के समय चालक के पास मोबाइल फ़ोन था** *यदि हाँ, तो मोबाइल का विवरण दें*	☐ हाँ ☐ नहीं
	मोबाइल नंबर	
	आईएमईआई नंबर	
	मेक और मॉडल	
15	**क्या ड्राईवर पहले मोटर दुर्घटना मामले(लों) में लिप्त था** *यदि हाँ, तो क्या मामला लंबित है या मो.दु.दा.अ. द्वारा निर्णित हो चुका* *है ?* *प्राथमिकी और मो.दु.दा.अ. मामले का विवरण दें*	☐ हाँ ☐ नहीं
16	**अगर व्यावसायिक वाहन है**	
	परमिट विवरण	
	फिटनेस विवरण	
17	**क्या परमिट और फिटनेस प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया है** *यदि हाँ, तो रिपोर्ट संलग्न करें* *यदि नहीं, तो कारण बताएं*	☐ हाँ ☐ नहीं
18	**क्या मालिक ने बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना दी है** *यदि हाँ, तो तिथि बताएं*	☐ हाँ ☐ नहीं
19	**अगर चालक घटनास्थल से भाग गया तो क्या मालिक ने चालक को पुलिस के सामने पेश किया** *यदि हाँ, तो मोटर यां अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस की प्रति संलग्न करें*	☐ हाँ ☐ नहीं

पीड़ित(गण) का विवरण			
20	**पीड़ित(गण)**	• पैदल यात्री/अविशिष्ट • साइकिल चालक • दुपहिया • किसी अन्य वाहन में • अन्य (विवरण दें)	
मृत्यु का मामला			
21	**मृतक का नाम**		
22	**मृतक की आयु**		
23	**व्यवसाय**		
24	**मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण का विवरण**		
	नाम	**संबंध**	**आयु**
i			
ii			
iii			
iv			
v			
चोट का मामला			
25	**घायल का नाम**		
26	**आयु**		
27	**व्यवसाय**		
28	**चोट का स्वरूप**		
	साधारण		
	गंभीर		
29	**चोट का विवरण**		
30	**अपराध का आरोप**		
	भारतीय दंड संहिता, 1860		
a	धारा 279	लोक मार्ग पर अंधाधुंध वाहन चलाना या हांकना	☐
b	धारा 337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरे का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए	☐
c	धारा 338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना, जिससे दूसरे का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए	☐
d	धारा 304-ए	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	☐
e	कोई अन्य अपराध		

	मोटर यान अधिनियम, 1988		
a	धारा 3/181	बिना अनुज्ञप्ति चालन	☐
b	धारा 4/181	नाबालिग द्वारा चालन	☐
c	धारा 5/181	अनाधिकृत व्यक्ति को चलाने की आज्ञा	☐
d	धारा 182	अनुज्ञप्ति से संबंधित अपराध	☐
e	धारा 56/192	फ़िटनेस के बिना	☐
f	धारा 66(1)/192ए	अनुज्ञा के बिना	☐
g	धारा 112/183(1)	गति सीमा पार करना	☐
h	धारा 113/194	अधिक लदान	☐
i	धारा 119/184	लाल बत्ती पार कूदना	☐
j	धारा 119/177	आज्ञापक चिन्हों का उल्लंघन (एक तरफा रास्ता, दायाँ मोड़ बंद, बायाँ मोड़ बंद)	☐
k	धारा 122/177	गलत / बाधात्मक पार्किंग	☐
l	धारा 146/196	बिना बीमा	☐
m	धारा 177/RRR17(1)	एक तरफा रास्ते का उल्लंघन	☐
n	धारा 194(1A)/RRR29	भारी/अधिक सामान ले जाना	☐
o	धारा 184/RRR6	नो ओवरटेकिंग का उल्लंघन	☐
p	धारा 177/CMVR105	सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के	☐
q	धारा 179	आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना	☐
r	धारा 184	खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना	☐
s	धारा 184	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	☐
t	धारा 185	नशे मे गाड़ी चलाना	☐
u	धारा 186	वाहन चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना	☐
v	धारा 187	धारा 132(1) (a), 133 व 134 का उल्लंघन	☐
w	धारा 190	असुरक्षित दशा वाले वाहन का उपयोग किया जाना	☐
x	धारा 194A	अधिकृत संख्या मे अधिक यात्री ले जाना	☐
y	धारा 194B/CMVR138 (3)	बिना सुरक्षा बेल्ट के चलाना	☐
z	धारा 194C	मोटरसाइकिल चालक तथा पिछली सीट सवार द्वारा सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की शास्ति	☐

aa	धारा 194D	सुरक्षा टोपी न पहनने की शास्ति	☐
bb	धारा 194E	आपात वाहनों को रास्ता देने मे विफल रहना	☐
cc	धारा 194F	बिना आवश्यकता के अथवा निषिद्ध स्थानों पर हॉर्न का प्रयोग	☐
dd	धारा 197	बिना अधिकार/प्रमाण के वाहन ले जाना	☐
ee	धारा 199A	किशोर द्वारा अपराध करना	☐
ff	कोई अन्य अपराध		☐
31	**दुर्घटना का विस्तृत विवरण**		

32.	**दावा अधिकरण द्वारा अपेक्षित निर्देश**
(i)	पत्र (त्रों) दिनांक .....[प्रति(यां) संलग्न] के बावजूद अपराध में लिप्त वाहन के चालक ने प्रपत्र-III प्रस्तुत नहीं किया/अपूर्ण प्रपत्र-III प्रस्तुत किया है	चालक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस अधिकरण के समक्ष प्रपत्र-III को 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करे	
(ii)	पत्र (त्रों)दिनांक .....[प्रति (यां) संलग्न] के बावजूद अपराध में लिप्त वाहन के मालिक ने प्रपत्र-IV प्रस्तुत नहीं किया / अपूर्ण प्रपत्र-IV प्रस्तुत किया है	मालिक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रपत्र IV इस अधिकरण के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करे	
(III)	पत्र (त्रों) दिनांक .....[प्रति (यां) संलग्न] के बावजूद दुर्घटना के पीड़ित(गण) ने प्रपत्र -VI-ए /प्रपत्र -VI-बी प्रस्तुत नहीं किया/अपूर्ण प्रपत्र - VI-ए प्रपत्र -VI-बी प्रस्तुत किया है| पीड़ित को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस अधिकरण के समक्ष प्रपत्र-VI-ए प्रपत्र -VI-बी 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करे|
(iv)	पत्र(त्रों) दिनांक .....[प्रति (यां) संलग्न] के बावजूद पंजीकरण प्राधिकारी ने सत्यापन आख्या प्रस्तुत नहीं की है	पंजीकरण प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे सत्यापन आख्या 15 दिन के अन्दर सीधे इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें	
(v)	पत्र(त्रों) दिनांक ..... [प्रति (यां) संलग्न] के बावजूद अस्पताल ने एमएलसी/ शव परीक्षण आख्या नहीं दी है| अस्पताल को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त दस्तावेजों को 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करे|
33.	**संलग्न होने वाले दस्तावेज**

	दस्तावेज	संलग्न	असंलग्न
(i)	प्राथमिकी		
(ii)	प्रपत्र-I-प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (प्र.दु.आ.)		
(iii)	प्रपत्र-II-पीड़ित(गण) के अधिकार एवं प्रवाह संचित्र		
(iv)	प्रपत्र -III- जमा किये गये दस्तावेजों के साथ चालक का प्रपत्र		
(v)	प्रपत्र-IV- जमा किये गये दस्तावेजों के साथ मालिक का प्रपत्र		
(vi)	प्रपत्र-V - जमा किये गये दस्तावेजों के साथ अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (अ.दु.आ.)		
(vii)	प्रपत्र-VIए - जमा किये गये दस्तावेजों के साथ		

	पीड़ित प्रपत्र		
(viii)	प्रपत्र-VIबी- जमा किये गये दस्तावेजों के साथ पीड़ित के नाबालिग बच्चों का विवरण		
(ix)	प्रपत्र-VII-विस्तृत दुर्घटना आख्या (वि.दु.आ.)		
(x)	प्रपत्र-VIII- नक्शा मौका		
(xi)	प्रपत्र-IX- यांत्रिक निरीक्षण आख्या		
(xii)	प्रपत्र-X-सत्यापन आख्या		
(xiii)	प्रपत्र XI- जमा किये गये दस्तावेजों के साथ बीमा प्रपत्र		
(xiv)	दुर्घटना स्थल का सभी कोणों से फोटोग्राफ		
(xv)	सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का सभी कोणों से फोटोग्राफ		
(xvi)	दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज		
(xvii)	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आख्या		
(xviii)	मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत नोटिस की प्रति		
	मृत्यु का मामला		
(xix)	शव-परीक्षा आख्या		
	चोट का मामला		
(xx)	चिकित्सीय विधिक मामला (एमएलसी) प्रपत्र		
(xxi)	घायल व्यक्ति का भिन्न भिन्न कोणों से फोटोग्राफ		
	अन्य दस्तावेज़ात		
(xxii)	चालक से सम्बद्ध सूचना/दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी के पत्र (त्रों)		
(xxiii)	मालिक से सम्बद्ध		

	सूचना/दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी के पत्र(त्रों)		
(xxiv)	बीमा कंपनी से सम्बद्ध सूचना/ दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी का पत्र		
(xxv)	पीड़ित तों) से सम्बद्ध सूचना/दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी का पत्र		
(xxvi)	पंजीकरण प्राधिकारियों से सम्बद्ध सूचना/ दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी का पत्र		
(xxvii)	अस्पताल से सम्बद्ध सूचना/दस्तावेज मांगे जाने के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी का पत्र		

<u>सत्यापन:</u>

_____ में वर्ष _____ माह _____ के _____वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त आख्या की अंतर्वस्तु सत्य एवं सही है और यह दस्तावेज जांच के दौरान एकत्र किये गए थे |

थानाध्यक्ष /जाँच-अधिकारी

पी.आई.एस. सं. :_____

फ़ोन नं. :_____

थाना :_____

दिनांक :_____

प्रपत्र -VIII

<u>नक्शा मौका</u>

जाँच-अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना के 90 दिन के अन्दर वि.दु.आ. सहित प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**नक्शा मौका तैयार करने की तिथि**	
2.	**टक्कर का प्रकार (से टक्कर)**	o पीछे से टक्कर o वाहन से पैदल-यात्री को o सड़क से उतरना o वाहन का पलटना o सीधी टक्कर o अन्य (उल्लेख करें)
3.	**सड़क की दिशा**	o एक -मार्गी o द्वि-मार्गी o अन्य (उल्लेख करें)
4.	**मार्गो की संख्या**	
5.	**सड़क की चौड़ाई**	
6.	**दुर्घटना स्थल**	

7. सड़क पर वाहनों की स्थिति, दिशा एवं जंक्शन तथा सड़क के साथ विस्तृत नक्शा मौका

थानाध्यक्ष /जाँच-अधिकारी

पी.आई.एस. सं. :_____

फ़ोन नं. :_____

थाना :_____

दिनांक :_____

प्रपत्र - IX

यांत्रिक निरीक्षण आख्या

जाँच-अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना के 90 दिन के अन्दर वि.दु.आ. सहित प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

यांत्रिक निरीक्षण की तिथि	
मोटर वाहन निरीक्षक का नाम	
मोटर वाहन निरीक्षक का पंजीकरण सं.	

1.	**वाहन पंजीकरण सं.**	
2.	**वाहन का प्रकार**	▪ मोटरयुक्त दोपहिया वाहन ▪ ऑटो ▪ कार/जीप/टैक्सी ▪ साइकिल ▪ रिक्शा ▪ बाइसिकिल ▪ हाथ चालित ठेला ▪ टैम्पो/ट्रैक्टर ▪ बस ▪ ट्रक/लॉरी ▪ पशु चालित ठेला ▪ भारी वाहन/ट्राली ▪ अज्ञात ▪ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
3.	**वाहन निर्माता**	
4.	**मॉडल नाम**	
5.	**वाहन का रंग**	
6.	**इंजन सं.**	
7.	**चैसिस सं.**	
8	**वाहन निरीक्षण की अवस्थिति**	
	दुर्घटना स्थल	

	गैरेज	
	अन्य(उल्लेख करें)	
9.	**यदि व्यावसायिक वाहन हो**	
	फिटनेस का विवरण	
	अनुमति का विवरण	
10.	**संघात का प्रमाण 1(पेंट स्थानान्तरण)**	
	पेंट स्थानान्तरण पाया गया	o हाँ o नहीं
	पेंट स्थानान्तरण का रंग	
	पेंट स्थानान्तरण की अवस्थिति	
11.	**संघात का प्रमाण 2 (खरोंच के निशान /अन्य)**	
	खरोंच का प्रकार	
	पेंट स्थानान्तरण की अवस्थिति	
12.	**संघात बिंदु**	
13.	**वाहन की यांत्रिक स्थिति**	
	स्टीयरिंग	
	पहिये	
	वाईपर्स	
	आईनें	
	अन्य	
14.	**क्या वाहन निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया गया है**	
	सीएनजी /एलपीजी किट लगाकर	
	वाहन के ढाँचे को बदलकर	
15.	**टायरों की स्थिति**	o मूल o नया रबड़ चढाया टायर
16.	**हॉर्न**	
	क्या लगा हुआ है	o हाँ o नहीं
	यदि हाँ, तो कार्य कर रहा है	o हाँ o नहीं
17.	**ब्रेक लाइट एवं अन्य लाइट कार्य कर रहे हैं**	o हाँ o नहीं
18.	**क्या वाहन का नम्बर प्लेट त्रुटिपूर्ण है**	o हाँ o नहीं

19.	**एयरबैग की स्थिति**	
	क्या वाहन एयरबैग युक्त है	○ हाँ ○ नहीं
	यदि हाँ तो एयरबैग का प्रयोग हुआ	○ हाँ ○ नहीं
20.	**शैक्षणिक संस्था की बस हेतु, क्या वाहन ऐसे दरवाजो से युक्त था जो बंद किए जा सकते हो और क्या वाहन पर ऐसा कोई उपयुक्त अभिलेख है जो यह प्रदर्शित करता है कि वे एक शैक्षणिक संस्था के लिए कार्यरत हैं|**	
21.	**क्या वाहन में काले रंग के शीशे थे**	○ हाँ ○ नहीं
22.	**पीएसवी (व्यावसायिक वाहनों) के मामलें में गति मर्यादक यन्त्र**	
	क्या वाहन गति-मर्यादक युक्त था	○ हाँ ○ नहीं
	यदि हाँ, क्या प्रयोग में है	○ हाँ ○ नहीं
23.	**पार्किंग सेंसर्स**	
	क्या पीछे के भाग के पार्किंग सेंसर्स लगे हुए है	○ हाँ ○ नहीं
	यदि हाँ, क्या प्रयोग में है	○ हाँ ○ नहीं
24.	**वाहन की लोकेशन पर नज़र रखने का यंत्र (वी.एल.टी.)**	
	क्या लगा हुआ है?	○ हाँ नहीं
	यदि हाँ, क्या कार्य कर रहा है ?	○ हाँ नहीं
25.	**क्षति का विवरण (आंतरिक एवं बाह्य क्षति सहित एवं क्षति की अनुमानित लागत)**	

संलग्न किए जाने हेतु दस्तावेज:

1. वाहन का फोटोग्राफ

मोटर गाड़ी निरीक्षक

दिनांक : _____

प्रपत्र -X

<u>सत्यापन आख्या</u>

VAHAN पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से जाँच-अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को दुर्घटना के 90 दिन के अन्दर वि.दु.आ. सहित प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1	**वाहन पंजीकरण सं.**	
	वैधता अवधि	
2	**इंजन सं.**	
3	**चैसिस सं.**	
4	**वाहन की श्रेणी**	○ एलएमवी/एलएमवी-टी / एचएमवी /एमजीवी ○ निजी या व्यावसायिक
5.	**वाहन निर्माता एवं मॉडल**	
	निर्माता	
	मॉडल	
6.	**मालिक का विवरण**	
	नाम	
	पता	
7.	**बीमाकर्ता का विवरण**	
8.	**परमिट का विवरण**	
	परमिट सं.	
	वैधता	
9.	**फिटनेस प्रमाण-पत्र का विवरण**	
	फिटनेस प्रमाण-पत्र सं.	
	वैधता	
10.	**रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर, कारण बताए**	

थानाध्यक्ष /जाँ.अ.

पी.आई.एस. : _____

फ़ोन नं. : _____

पुलिस थाना : _____

दिनांक : _____

प्रपत्र-XI

<u>बीमा प्रपत्र</u>

बीमा कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा अधिकरण को
वि.दु.आ. प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रेषित

प्राथमिकी सं.	
दिनांक	
धारा	
थाना	

1.	**वाहन का विवरण**	
	पंजीकरण सं.	
	वाहन निर्माता	
	वाहन मॉडल	
2.	**बीमाकृत का विवरण**	
	नाम	
	पता	
3.	**पालिसी का विवरण**	
	पालिसी सं.	
	पालिसी की अवधि	
	पालिसी का प्रकार/प्रकृति	
4.	**दुर्घटना की तिथि**	
5.	**बीमाकृत द्वारा बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना देने की तिथि**	
6.	**प्र.दु.आ. प्राप्ति की तिथि**	
7.	**अ.दु.आ. प्राप्ति की तिथि**	
8.	**वि.दु.आ. प्राप्ति की तिथि**	
9.	बीमा कंपनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की तिथि	
10.	**प्राधिकृत अधिकारी का विवरण**	
	नाम	
	पता	
11.	**सर्वेक्षक/ जाँचकर्ता की नियुक्ति की तिथि**	
12.	**सर्वेक्षक/ जाँचकर्ता का नाम एवं पता**	
	नाम	
	पता	
13.	**सर्वेक्षक/ जाँचकर्ता की आख्या की तिथि**	
14.	**प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय की तिथि**	

15.	**क्या यह प्रपत्र वि.दु.आ. प्राप्ति के 30 के अंतर्गत दायर किया गया है** *यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण बताएं*		○ **हाँ** ○ **नहीं**
	मृत्यु का मामला		
16.	**मृतक का नाम**		
17.	**मृतक की आयु**		
18.	**व्यवसाय**		
19.	**मासिक आय**		
20.	**मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का विवरण**		
	नाम	***संबंध***	***आयु***
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			
21.	**मुआवज़े का परिकलन**	रु. में राशि	
	मृतक की आय **(ए)**		
	योग- भावी सम्भावनाएं **(बी)**		
	घटाव-मृतक के निजी व्यय **(सी)**		
	निर्भरता की मासिक हानि **[(ए+बी)-सी =डी]**		
	निर्भरता की वार्षिक हानि **(डीx12)**		
	गुणक **(ई)**		
	निर्भरता की कुल हानि **(ई x 12 x डी =एफ़)**		
	चिकित्सीय व्यय **(जी)**		
	संकाय की हानि हेतु मुआवज़ा **(एच)**		
	प्रेम एवं स्नेह की हानि हेतु मुआवज़ा **(आई)**		
	भूसंपत्ति के नुकसान हेतु मुआवज़ा **(जे)**		
	अंत्येष्टि व्यय हेतु मुआवज़ा **(के)**		
	कुल मुआवज़ा (एफ़ +जी+एच+आई+जे+के=एल)		
	<u>चोट का मामला</u>		
22.	**पीड़ित का नाम**		
23.	**पीड़ित की आयु**		
24.	**व्यवसाय**		
25.	**मासिक आय**		

26.	**चोट की प्रकृति**	
	साधारण	
	गंभीर	
27.	**चोट का प्रकार**	
	चिकित्सीय इलाज का विवरण	
28.	**स्थायी विकलांगता का विवरण (यदि कोई हो तो)**	
30.	**मुआवज़े का परिकलन**	**राशि रु. में**
	इलाज में व्यय	
	वाहन पर व्यय	
	विशेष आहार पर व्यय	
	नर्सिंग/परिचारक की लागत	
	कृत्रिम अंग की कीमत	
	अर्जन क्षमता में कमी	
	आय की हानि	
	कोई अन्य हानि जिसकी आवश्यकता क्षतिग्रस्त के शेष जीवन के लिए उपादान या किसी विशेष इलाज हेतु हो	
	शारीरिक एवं मानसिक आघात हेतु मुआवजा	
	पीड़ा एवं कष्ट	
	जीवन में सुख-साधन की हानि	
	विरूपण	
	विवाह की सम्भावना की हानि	
	आय, असुविधा, कठिनाई, निराशा, कुंठा, मानसिक तनाव, हतोत्साह तथा भावी जीवन में अप्रसन्नता की हानि	
	कुल मुआवज़ा	
31.	**यदि बीमा कंपनी मुआवज़े के भुगतान के दायित्व को स्वीकार नहीं करती है तो उन आधारों को स्पष्ट करें जिन पर बीमा कंपनी दावों का प्रतिवाद करना चाहती है :**	

<u>सत्यापन:</u>

_____ में वर्ष ____ माह _____ के _____वें दिन सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त आख्या की अंतर्वस्तु सत्य एवं सही है | मैं मुआवज़े के परिकलन सिद्धांतों का जानकार हूँ एवं मुआवज़े के परिकलन में इनका प्रयोग किया है |

प्राधिकृत अधिकारी

संलग्नीय दस्तावेज :

1. सर्वेक्षक/ जाँचकर्ता की रिपोर्ट

प्रपत्र -XII

पीड़ित प्रभाव आख्या

दोषसिद्धि के 30 दिन के अंतर्गत दि.रा.वि.से.प्रा. द्वारा संबंधित महानगर दंडाधिकारी को तथा सजा के समय विचार किए जाने हेतु

क्रम सं.	वर्णन	विवरण
1.	प्राथमिकी सं., दिनांक तथा धारा(ओं) के अंतर्गत	
2.	थाने का नाम	
3.	अपराध की तिथि, समय एवं स्थान	
4.	पीड़ित(गण) को पहुँची चोट/हानि की प्रकृति	
	(i) शारीरिक क्षति	
	(अ) सामान्य चोटें	
	(ब) गम्भीर चोटें	
	(स) मृत्यु	
	(ii) भावनात्मक क्षति	
	(iii) सम्पति का नुकसान/हानि	
	(iv) कोई अन्य हानि /क्षति	
5.	अपराध(धों) जिनमें अभियुक्त की दोषसिद्धि हुई हो उनका संक्षिप्त विवरण	
6.	पीड़ित का नाम	
7.	पिता /पति/पत्नी का नाम	
8.	आयु	
9.	लिंग	
10.	वैवाहिक स्थिति	
11.	पता: स्थायी	
	वर्तमान	
12.	सम्पर्क जानकारी : मोबाइल	
	ईमेल आईडी	

I. मृत्यु का मामला

क्रम सं.	विवरण			विवरण
13.	मृतक का नाम			
14.	पिता/पति/पत्नी का नाम			
15.	मृतक की आयु			
16.	मृतक का लिंग			
17.	मृतक की वैवाहिक स्थिति			
18.	मृतक का व्यवसाय			
19.	मृतक का आय			
20.	मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम, आयु एवं सम्बन्ध			
	नाम	आयु	लिंग	सम्बन्ध
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				
21	**हानि का विवरण**			
	आर्थिक हानियाँ:			
(i)	मृतक की आय **(ए)**			
(ii)	योग- भावी सम्भावनाएं **(बी)**			
(iii)	घटाव-मृतक का निजी व्यय **(सी)**			
(iv)	निर्भरता की मासिक हानि **[(ए+बी)-सी =डी]**			
(v)	निर्भरता की वार्षिक हानि **(डीx12)**			
(vi)	गुणक **(ई)**			
(vii)	निर्भरता की कुल हानि (डी **x 12 x ई =एफ़**)			
(viii)	चिकित्सीय व्यय			
(ix)	अंत्येष्टि व्यय			
(x)	कोई अन्य आर्थिक हानि/क्षति			

	गैर-आर्थिक हानियाँ	
(xi)	संकाय की हानि हेतु	
(xii)	प्रेम एवं स्नेह की हानि	
(xiii)	भूसंपति का नुकसान	
(xiv)	भावनात्मक क्षति /अभिघात, मानसिक एवं शारीरिक आघात आदि	
(xv)	अभिघात उपरांत तनाव विकार (चिंता, अवसाद, शत्रुता, अनिद्रा, स्व-विनाशकारी व्यवहार, दु:स्वप्न, व्याकुलता, सामाजिक अलगाव, आदि) पीड़ित मृतक की मृत्यु / घटना से उत्प्रेरित भय/आतंक का विकार	
(xvi)	कोई अन्य गैर-आर्थिक हानि/नुकसान	
	वहन की गई कुल हानि	

II. <u>चोट का मामला</u>

क्रं. सं	विवरण	ब्योरा
22	घायल व्यक्ति का नाम	
23	पिता/ पति/पत्नी का नाम	
24	घायल व्यक्ति की उम्र	
25	घायल व्यक्ति का लिंग	
26	घायल व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति	
27	घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
28	घायल व्यक्ति की आय	
29	चोट की प्रकृति एवं विवरण	
30	घायल द्वारा लिया गया चिकित्सीय उपचार	
31	अस्पताल का नाम एवं भर्ती की अवधि	
32	शल्य चिकित्सा का विवरण यदि हुई हो ?	
33	यदि कोई स्थायी विकलांगता हुई? यदि हाँ, हो तो विवरण दें	
34	यदि घायल को चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की गई हो	

35	घायल व्यक्ति के परिवार/ आश्रितों का विवरण			
	नाम	**उम्र**	**लिंग**	**सम्बन्ध**
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				

36.	**वहन की गई हानि का विवरण**	
	आर्थिक हानि :	
(i)	उपचार, प्रवहण, विशेष आहार तथा परिचारक इत्यादि पर किया गया खर्च	
(ii)	अगर उपचार अभी भी चल रहा है तो भविष्य मे उपचार पर होने वाले संभावित खर्च का अनुमान दीजिये	
(iii)	आय की हानि	
(iv)	कोई अन्य हानि जिसकी आवश्यकता क्षतिग्रस्त के शेष जीवन के लिए उपादान या किसी विशेष इलाज हेतु हो	
(v)	निर्धारित विकलांगता का प्रतिशत एवं स्थायी अथवा अस्थायी के रूप में विकलांगता की प्रकृति	
(vi)	विकलांगता के कारण अर्जन क्षमता में आयी कमी का प्रतिशत	
(vii)	भविष्य मे आय मे कमी- (आय*%काम करने की क्षमता X गुणक)	
(viii)	कोई अन्य आर्थिक हानि	
	गैर -आर्थिक हानि :	
(i)	पीड़ा एवं कष्ट	
(ii)	जीवन की सुख-सुविधाओं का	

	लोप, असुविधा, कठिनाई, निराशा, कुंठा, मानसिक तनाव, हतोत्साह तथा भावी जीवन में अप्रसन्नता आदि	
(iii)	अभिघात उपरांत तनाव विकार (चिंता, अवसाद, शत्रुता, अनिद्रा, स्व-विनाश-कारी व्यवहार, दु:स्वप्न, व्याकुलता, सामाजिक अलगाव, आदि) पीड़ित मृतक की मृत्यु / घटना से उत्प्रेरित भय/आतंक का विकार	
(iv)	भावनात्मक क्षति /अभिघात , मानसिक एवं शारीरिक आघात आदि	
(v)	विरूपण	
(vi)	वैवाहिक संभावना की हानि	
(vii)	ख्याति की हानि	
(viii)	अन्य कोई गैर आर्थिक हानि	
	वहन की गई कुल हानि	

III. <u>संपत्ति का नुकसान /हानि</u>

क़ सं	विवरण	ब्योरा
37.	नुकसान हुई /क्षतिग्रस्त संपत्ति का विवरण	
38.	कुल हानि का मूल्य	

<u>IV. अभियुक्त का व्यवहार</u>

क्र. सं.	वर्णन	ब्योरा
39	क्या अभियुक्त घटना स्थल से भाग गया ? अगर ऐसा हुआ तो वह कब पुलिस/ कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ/ हुई अथवा गिरफ्तार हुआ/ हुई ?	
40	क्या अभियुक्त ने घटना की	

	जानकारी पुलिस/ पीड़ित के परिवार को दी ?	
41	*(i)* क्या अभियुक्त ने पीड़ित की कोई सहायता की ? *(ii)* क्या अभियुक्त ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया ? *(iii)* क्या अभियुक्त ने पीड़ित से अस्पताल मे मुलाक़ात की ?	
42	क्या अभियुक्त पुलिस के आने तक घटना स्थल पर मौजूद रहा ?	
43	क्या अभियुक्त ने जांच मे सहयोग किया ?	
44	क्या अभियुक्त ने अपना वाहन पुलिस के घटना स्थल पर पहुँचने से पहले हटा लिया था ?	
45	क्या अभियुक्त ने पीड़ित एवं उसके परिवार को मुआवजा/ चिकित्सीय खर्च अदा किया ?	
46	क्या अभियुक्त के खिलाफ पहले से दोषसिद्धि है ?	
47	क्या अभियुक्त पीड़ित का नजदीकी रिश्तेदार या मित्र है या था ?	
48	अभियुक्त की उम्र	
49	अभियुक्त का लिंग	
50	**क्या** अभियुक्त को दुर्घटना के दौरान चोट पहुंची थी ?	
51	क्या अभियुक्त ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 132 तथा 134 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया ? अगर नहीं, तो क्या अभियुक्त पर मोटर यान अधिनियम की धारा 187 के अंतर्गत अभियोग चलाया गया है ?	

52	क्या चालक वाहन दुर्घटना मुकद्दमे में पहले भी लिप्त रहा है? अगर हाँ, तो निम्न विवरण दें: प्राथमिकी सं तथा थाना	
53.	**अगर** चालक घटना स्थल से किसी वजह से भाग जाता है तो क्या मालिक ने मोटर यां अधिनियम की धारा 133 के प्रावधानों का अनुपालन किया ?	
54.	अभियुक्त के व्यवहार के बारे मे कोई अन्य जानकारी	
55.	**स्पष्ट योगदान परिस्थितियाँ :**	
(i)	बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति के गाड़ी चलाना	
(ii)	अयोग्य होते हुए गाड़ी चलाना	
(iii)	बिना पर्यवेक्षक के गाड़ी चलाना सीखना	
(iv)	बीमाविहीन वाहन	
(v)	चोरी की गाड़ी चलाना	
(vi)	मालिक की सहमति के बगैर गाड़ी ले जाना	
(vii)	खतरनाक रूप से अथवा बहुत ही तीव्र गति से गाड़ी चलाना	
(viii)	बहुत ही खतरनाक रूप से लोड की गई गाड़ी/ क्षमता से अधिक लोड	
(ix)	सड़क पर गलत साइड खड़ी की गई गाड़ी	
(x)	गलत तरीके से खड़ी की गई गाड़ी / सड़क पर गलत साइड खड़ी की गई गाड़ी	
(xi)	यातायात के नियमों का पालन न करना	
(xii)	बुरे तरीके से रखा गया वाहन	
(xiii)	जाली /फर्जी चालक अनुज्ञप्ति	
(xiv)	अकड़न / दौरे का पूर्ववृत्त	
(xv)	थकावट/नींद जैसी अवस्था	
(xvi)	पूर्व मे यातायात के नियमों कें	

	उल्लंघन मे दोषी पाया जाना	
(xvii)	**पहले दोषसिद्धि**	
(xviii)	चिकित्सीय अवस्था से पीड़ित होने जो गाड़ी चालन में बाधा डाले	
(xix)	गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना (हाथ में रखकर)	
(xx)	गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना (बिना हाथ में रखे)	
(xxi)	एक से अधिक घायल / मृत	
(xxii)	शराब या नशीली चीज़ों के प्रभाव में	
56.	**आक्रामक रूप से गाड़ी चलाना**	
(i)	लाल बत्ती कूदना	
(ii)	अचानक ब्रेक लगाना	
(iii)	सड़क की बाईं ओर नहीं रहने में में लापरवाही	
(iv)	आड़ी-तिरछी गाड़ी चलाना	
(v)	गलत साइड गाड़ी चलाना	
(vi)	आगे वाली गाड़ी के बिलकुल करीब गाड़ी रखना	
(vii)	ओवरटेक करने के लिए अनुचित प्रयास करना	
(viii)	ओवरटेक करने के बाद कट मारना	
(ix)	गति सीमा से अधिक चलाना	
(x)	मुकाबला/प्रतियोगिता के रूप में गाड़ी चलाना	
(xi)	किसी भी चेतावनी की अनदेखी करना	
(xii)	जहां प्रतिबंध हो वहाँ ओवरटेक करना	
(xiii)	तीव्र संगीत के साथ गाड़ी चलाना	
(xiv)	गलत तरीके से पीछे करना	
(xv)	गलत तरीके से पास देना	

(xvi)	गलत तरीके से मुड़ना	
(xvii)	बिना संकेत दिये मुड़ना	
(xviii)	प्रवेश निषेध क्षेत्र मे गाड़ी चलाना	
(xix)	जंक्शन /क्रोसिंग पर गाड़ी धीमा नहीं करना	
(xx)	संकेत देकर के मुड़ना	
(xxi)	ठहराव चिन्ह की अनदेखी करना	
(xxii)	पैदल यात्रियों के चलने के अधिकार की उपेक्षा करना	
57.	**गैर जिम्मेदाराना बर्ताव**	
(i)	दुर्घटना के बाद नहीं रुकना	
(ii)	दुर्घटना के स्थान से वाहन छोड़कर भाग जाना	
(iii)	साक्ष्य को मिटाना या मिटाने की कोशिश करना	
(iv)	गलत दावा करना कि दुर्घटना के लिए पीड़ितों में से कोई व्यक्ति जिम्मेदार था	
(v)	भागने के उद्देश्य से गाड़ी आड़ी तिरछी चलाकर पीड़ित को वाहन के बोनट से फेंकने की कोशिश करना	
(vi)	पता लगने अथवा पकड़े जाने से बचाव के प्रयास में अपराध करने के बाद अथवा पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए मृत्यु / चोट कारित करना |	
(vii)	अपराध हुआ जब अपराधी जमानत पर था |	
(viii)	कोई गलत बचाव पेश किया	
(ix)	जांच को गुमराह किया	
(x)	दुर्घटना के बाद सड़क पर उन्माद वाला व्यवहार	

IV. अभियुक्त के भुगतान करने की क्षमता

अभियुक्त ने प्रारूप अनुलग्नक-ए में अपनी संपत्ति एवं आय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है| अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र मे दिए गए विवरण को उप-मंडलीय दंडाधिकारी/ पुलिस/अभियोजक ने सत्यापित किया है तथा उस पर विचार करने के पश्चात्, अभियुक्त के भुगतान करने की क्षमता निम्न रूप से आकलित की गई है|

.....

.....

.....

.....

.....

V. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा संस्तुतियां

अपराध की गंभीरता, पीड़ित (गण) को मानसिक/ शारीरिक क्षति/चोटें, पीड़ित (गण) को हुए नुकसान एवं अभियुक्त द्वारा भुगतान करने की क्षमता पर विचार करने के बाद कमेटी की संस्तुतियां निम्न प्रकार है :-

.....

.....

.....

.....

.....

दिल्ली
दिनांक:

सदस्य सचिव
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रतिवेदन के साथ संलग्न विचारणीय दस्तावेज़

मृत्यु के मामलों मे :

1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मृतक के उम्र का प्रमाण जो कि ए) जन्म प्रमाण पत्र; बी) विद्यालय प्रमाण पत्र; सी) ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र (अशिक्षित के मामले में); डी) आधार कार्ड के रूप में हो |
3. मृतक के व्यवसाय एवं आय का प्रमाण जो कि ए) वेतन पर्ची /तनख़्वाह प्रमाण पत्र (तनख़्वाह कर्मचारी); बी) पिछले छह महीने का बैंक विवरण); सी) आयकर विवरणी; तुलन पत्र के रूप में हो |
4. मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का प्रमाण (नाम, उम्र, पता, फोन न. तथा संबंध)
5. उपचार का अभिलेख, चिकित्सीय बिल तथा अन्य खर्च
6. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का बैंक खाता सं जिसमें उसका नाम एवं पता हो
7. अन्य कोई दस्तावेज़ जो कि तार्किक हो

चोट के मामलों मे:

1. घायल का भिन्न भिन्न कोणों से फोटोग्राफ
2. मृतक के उम्र का प्रमाण जो कि ए) जन्म प्रमाण पत्र; बी) विद्यालय प्रमाण पत्र; सी) ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र (अशिक्षित के मामले में); डी) आधार कार्ड के रूप में हो
3. मृतक के व्यवसाय एवं आय का प्रमाण जो कि ए) वेतन पर्ची/तनख़्वाह प्रमाण पत्र (तनख़्वाह कर्मचारी); बी) पिछले छह महीने का बैंक विवरण); सी) आकार विवरणी; तुलन पत्र के रूप में हो |
4. उपचार का अभिलेख, चिकित्सीय बिल तथा अन्य खर्च
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
6. कार्य से अनुपस्थिति का प्रमाण जहां घायल की आय की हानि का दावा किया गया है जो कि ए) नियोजक के प्रमाण पत्र; सी) उपस्थिति पुस्तिका के उद्धरण के रूप मे हो
7. चिकित्सीय खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रमाण जो कि नियोजक द्वारा दिया गया हो या मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत हो, यदि लिया गया हो
8. अन्य कोई दस्तावेज़ जो कि सुसंगत हो

प्रपत्र - XIII

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष

---------- **...याची (गण)**

बनाम

---------- **... प्रत्यर्थी (गण)**

<u>मृत्यु के मामलों मे पक्षकारों द्वारा दायर किया जाने वाला लिखित प्रस्तुतियों का प्रारूप</u>

1. दुर्घटना की तिथि .....

2. मृतक का नाम .....

3. मृतक की उम्र .....

4. मृतक का व्यवसाय .....

5. मृतक की आय .....

6. मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का नाम, उम्र एवं संबंध

क्र. सं	नाम	उम्र	संबंध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

7. मुआवज़े का परिकलन

क्रं. सं	**शीर्षक**	**याचीगण का दावा**	**प्रत्यर्थी (गण) का जवाब**
(i)	मृतक की आय (A)		
(ii)	जोड़- भावी सम्भावनाये (B)		
(iii)	घटाव- मृतक का व्यक्तिगत खर्च (C)		
(iv)	निर्भरता की मासिक हानि {(A+B)-C=D}		

(v)	निर्भरता की वार्षिक हानि (D*12)		
(vi)	गुणक (E)		
(vii)	निर्भरता की कुल हानि (Dx12xE=F)		
(viii)	चिकित्सीय खर्चें (G)		
(ix)	साहचर्य की हानि का मुआवज़ा (H)		
(x)	प्रेम एवं स्नेह का मुआवजा (I)		
(xi)	सम्पदा की हानि का मुआवजा (J)		
(xii)	अंतिम संस्कार मे किए गए खर्च का मुआवज़ा (K)		
कुल मुआवज़ा (F+G+H+I+J+K=L)			
ब्याज			

प्रपत्र-XIV

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष

....याची(गण)

बनाम

.... प्रत्यर्थीगण

चोट के मामलों मे पक्षकारों द्वारा दायर किया जाने वाला लिखित प्रस्तुतियों का प्रारूप

1. दुर्घटना की तिथि .....
2. घायल व्यक्ति का नाम .....
3. घायल व्यक्ति की उम्र .....
4. घायल व्यक्ति का व्यवसाय .....
5. घायल व्यक्ति की आय .....
6. घायल की प्रकृति .....
7. घायल व्यक्ति द्वारा लिया गया चिकित्सीय उपचार .....
8. अस्पताल मे भर्ती की अवधि .....
9. क्या कोई स्थायी विकलांगता ? यदि हाँ तो विवरण दें .....

.....

10. घायल व्यक्ति एवं चोटों का फोटोग्राफ .....
11. मुआवज़े का परिकलन :-

क्र सं	शीर्षक	याचीगण का दावा	प्रत्यर्थीगण का जवाब
12.	**आर्थिक हानि**		
(i)	उपचार पर व्यय		
(ii)	वाहन पर व्यय		
(iii)	विशेष आहार पर व्यय		
(iv)	नर्सिंग/ परिचारक की कीमत		
(v)	आय की हानि		
(vi)	कृत्रिम अंग की कीमत		

	(अगर उपयोगी हो)		
(vii)	कोई अन्य हानि या खर्च		
13.	**गैर आर्थिक हानि:**		
(i)	मानसिक एवं शारीरिक आघात हेतु मुआवज़ा		
(ii)	पीड़ा एवं कष्ट		
(iii)	जीवन मे सुविधाओं की हानि		
(iv)	विरूपण		
(v)	वैवाहिक संभावनाओं की हानि		
(vi)	आय की हानि, असुविधायें, परेशानियाँ, निराशा, हताशा, मानसिक तनाव, उदासी, तथा भविष्य के जीवन मे दुख		
14.	**विकलांगता के कारण अर्जन क्षमता की हानि**		
(i)	निर्धारित विकलांगता का प्रतिशत एवं स्थायी अथवा अस्थायी के रूप में विकलांगता की प्रकृति		
(ii)	विकलांगता के कारण जीवनकाल में सुविधाओं की हानि एवं उम्मीदों की हानि		
(iii)	विकलांगता के कारण अर्जन क्षमता मे आयी कमी का प्रतिशत		
(iv)	भविष्य मे आय मे कमी- (आयx%कमाई क्षमता xगुणक)		
कुल मुआवज़ा			
ब्याज			

प्रपत्र - XV

मृत्यु के मामलों में अधिनिर्णय राशि के अभिकलन का सारांश अधिनिर्णय में सम्मिलित करना

1. दुर्घटना की तिथि.....
2. मृतक का नाम .....
3. मृतक की उम्र.....
4. मृतक का व्यवसाय.....
5. मृतक की आय.....
6. मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के नाम, आयु, और सम्बन्ध :

क्रम संख्या	**नाम**	**उम्र**	**संबंध**
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			

मुआवज़े का अभिकलन

क्रम संख्या	**शीर्षक**	**दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत**
7.	मृतक की आय **(ए)**	
8.	जोड़ें -भविष्य की संभावनाएँ **(बी)**	
9.	घटाएँ - मृतक के व्यक्तिगत खर्चे **(सी)**	
10.	निर्भरता का मासिक नुकसान **[(ए+बी)-सी=डी]**	
11.	निर्भरता का वार्षिक नुकसान **(डीx12)**	
12.	गुणक **(ई)**	
13.	निर्भरता का कुल नुकसान **(डीx12xए=एफ़)**	
14.	चिकित्सीय खर्चे **(जी)**	
15.	साहचर्य की हानि के लिए मुआवज़ा **(एच)**	
16.	प्रेम और अनुराग के नुकसान के लिए मुआवज़ा **(आई)**	
17.	संपदा के नुकसान के लिए मुआवज़ा **(जे)**	
18.	अंत्येष्टि के खर्चों के लिए मुआवज़ा **(के)**	
19.	**कुल मुआवज़ा (एफ़+जी+एच+आई+जे+के=एल)**	
20.	**अधिनिर्णीत ब्याज का दर**	
21.	अधिनिर्णय की तारीख तक ब्याज राशि **(एम)**	

22.	ब्याज सहित कुल राशि **(एल+एम)**	
23.	अधिनिर्णय राशि निर्मुक्त	
24.	सावधि जमा (एफ़डीआर) में रखी अधिनिर्णय राशि	
25.	दावेदारों को अधिनिर्णय राशि के संवितरण का तरीका	
26.	अधिनिर्णय के अनुपालन की अगली तारीख	

प्रपत्र - XVI

चोट के मामलों में अधिनिर्णय राशि के अभिकलन का सारांश अधिनिर्णय में सम्मिलित करना

1. दुर्घटना की तिथि.....
2. घायल का नाम.....
3. घायल की उम्र.....
4. घायल का व्यवसाय.....
5. घायल की आय.....
6. चोट का प्रकार .....
7. घायल द्वारा लिया गया चिकित्सीय उपचार .....
   .....
8. अस्पताल में भर्ती होने की अवधि .....
9. क्या कोई स्थाई विकलांगता है ? यदि हाँ तो विवरण दें .....
   .....

10.	**मुआवज़े की संगणना**	
क्रम संख्या	**शीर्षक**	**अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत**
11.	**आर्थिक हानि:**	
(i)	उपचार पर खर्च	
(ii)	परिवहन पर खर्च	
(iii)	विशेष आहार पर खर्च	
(iv)	परिचर्यापरिचारक/ की लागत	
(v)	कृतिम अंग की लागत	
(vi)	उपार्जन क्षमता का नुक्सान	
(vii)	आय का नुकसान	
(viii)	कोई अन्य नुकसान जिसमें किसी विशेष उपचार की आवश्यकता हो अथवा घायल को उसके शेष जीवन हेतु सहायता	
12.	**गैर आर्थिक हानि :**	
(i)	मानसिक और शारीरिक सदमे हेतु मुआवज़ा	
(ii)	दर्द और पीड़ा	
(iii)	जीवन की सुखसुविधाओं का नुकसान-	
(iv)	कुरूपता	
(v)	विवाह की सम्भावनाओं का नुकसान	
(vi)	भावी जीवन में कमाई, असुविधा, मानसिक कुंठा, निराशा, कठिनाइयां, उदासी, दबाव और अप्रसन्नता आदि का नुक्सान	

13.	**विकलांगता जिसके परिणामस्वरूप कमाने की क्षमता में नुकसान:**	
(i)	विकलांगता के प्रतिशत का आकलन और स्थाई या अस्थाई के रूप में विकलांगता की प्रकृति	
(ii)	विकलांगता के आधार पर सुखसुविधाओं का - नुकसान अथवा जीवन काल की उम्मीद का नुकसान	
(iii)	विकलांगता के संबंध में कमाने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत	
(iv)	भविष्य की आय का नुकसान - (आय x % कमाने की क्षमता x गुणक)	
14.	**कुल मुआवज़ा**	
15.	**अधिनिर्णीत ब्याज**	
16.	अधिनिर्णय की तारीख तक ब्याज राशि	
17.	ब्याज सहित कुल राशि	
18.	अधिनिर्णय राशि निर्मुक्त	
19.	सावधि जमा (एफ़डीआर) में रखी अधिनिर्णय राशि	
20.	दावेदार(रों) को अधिनिर्णय राशि के संवितरण की विधि	
21.	अधिनिर्णय के अनुपालन हेतु अगली तारीख	

प्रपत्र - XVII

<u>योजना के प्रावधानों के अनुपालन को अधिनिर्णय में उल्लिखित करना</u>

1.	दुर्घटना की तिथि	
2.	***प्रपत्र-I- प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (प्र.दु.आ.)*** को दायर करने की तिथि	
3.	पीड़ित(गण) को ***प्रपत्र-II*** की सुपुर्दगी की तिथि	
4.	चालक से ***प्रपत्र-III*** की प्राप्ति की तिथि	
5.	मालिक से ***प्रपत्र-IV*** की प्राप्ति की तिथि	
6.	***प्रपत्र-V अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (अ.दु.आ.)*** के दायर करने की तिथि	
7.	पीड़ित(गण) से ***प्रपत्र-VI-ए*** और ***प्रपत्र-VI-बी*** की प्राप्ति की तिथि	
8.	***प्रपत्र-VII विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (वि.दु.आ.)*** दायर करने की तिथि	
9.	क्या जाँच अधिकारी की ओर से कोई देरी या कमी थी? यदि हाँ, तो क्या कोई कार्यवाही/निर्देश दिए गए हैं?	
10.	बीमा कंपनी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की तिथि	
11.	क्या बीमा कंपनी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी ने वि.दु.आ. के 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा कराई है?	
12.	क्या बीमा कंपनी के प्राधिकृत/मनोनीत अधिकारी की ओर से कोई देरी या कमी थी यदि हाँ, तो क्या कोई कार्यवाही/निर्देश दिए गए हैं?	
13.	बीमा कंपनी के प्रस्ताव पर दावेदार(रों) के जवाब की तिथि	
14.	अधिनिर्णय की तिथि	
15.	क्या दावेदार(रों) को उनके निवास स्थान के नज़दीक बचत बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया/दिए गए थे?	
16.	आदेश की तिथि जिसके द्वारा दावेदार(रों) को उनके निवास स्थल के नज़दीक बचत बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया/दिए गए थे और पैन कार्ड और आधार कार्ड तथा बैंक को दावेदार(रों) को कोई चैक बुक/डेबिट कार्ड जारी न करने का निर्देश और पासबुक में इस प्रभाव तक पृष्ठांकन करें	
17.	तिथि जिस पर दावेदार(रों) ने अपने घर के नजदीक अपने बचत बैंक खाता(ते) की पासबुक पृष्ठांकन सहित, पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत की?	
18.	दावेदार(रों) का स्थाई आवासीय पता	

19.	क्या दावेदार(रों) का बचत बैंक खाता उसके घर के नज़दीक है?	
20.	अधिनिर्णय पारित करते समय उसकी/उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए क्या दावेदार(रों) की जाँच की गई थी?	

प्रपत्र - XVIII

<u>दावा अधिकरण द्वारा अनुरक्षित अधिनिर्णयों के अभिलेख का प्रारूप</u>

दिनांक	रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	
क्रम संख्या	**विवरण**	
1.	अधिनिर्णय की तिथि	
2.	मुकद्दमा संख्या	
3.	मुकद्दमे का शीर्षक	
4.	अधिनिर्णय राशि	
5.	जमाकर्ता द्वारा दावेदार(रों) को जमा कराने की सूचना की तिथि	
6.	प्राधिकरण द्वारा दावेदार(रों) को जमा कराने की सूचना की तिथि	
7.	जमा कराने की सूचना की तिथि तक ब्याज की राशि	
8.	जमा कराने की तिथि के साथ जमा की गई राशि	
9.	जमा कराने की सूचना की तिथि तक ब्याज की राशि	
10.	क्या सम्पूर्ण अधिनिर्णय राशि और ब्याज जमा किया गया| यदि नहीं, शेष बकाया अधिनिर्णय राशि/ब्याज	
11.	बकाया अधिनिर्णय ब्याज को वसूलने हेतु की गई कार्यवाही	
12.	दावेदार(रों) को अधिनिर्णय राशि जारी करने की तिथि	
13.	अधिनिर्णय राशि जारी करने की प्रणाली: (चैकों पर दिए गए पृष्ठांकन का विवरण दें)	
14.	टिप्पणियाँ	

प्रपत्र - XIX

मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा (मो.दु.दा.वा.ज.) योजना

क्रम संख्या	योजना की विशेषताएँ	ब्यौरा/विवरण
1.	उद्देश्य	समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) में प्राप्त करने के लिए एक समय पर जमा की गई एकमुश्त राशि, जैसाकि न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हो, जिसमे मूल राशि का एक हिस्सा और साथ ही ब्याज भी शामिल है
2.	योग्यता	एकल नाम में संरक्षक के माध्यम से नाबालिकों सहित व्यक्ति
3.	स्वामित्व की प्रणाली	एकल
4.	खाता का प्रकार	मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी (अवधि) जमा खाता (मो.दु.दा.वा.ज.)
5.	जमा राशि	(i) अधिकतम: कोई सीमा नहीं (ii) न्यूनतम: न्यूनतम मासिक वार्षिकी के आधार पर संबद्ध अवधि के लिए 1,000/- रूपए|
6.	कार्यकाल	(i) 36 से 120 महीने (ii) यदि अवधि 36 महीनों से कम हो तो सामान्य सावधि जमा खोला जाएगा| (iii) लम्बी अवधि के मो.दु.दा.वा.ज. (120 महीनों से अधिक) को न्यायालय के निर्देशानुसार देखा जाएगा|
7.	ब्याज की दर	कार्यकाल के अनुसार ब्याज का प्रचलित दर
8.	पावती/सूचना	(i) जमाकर्ता को कोई भी पावती जारी नहीं की जाएगी| (ii) पासबुक मो.दु.दा.वा.ज. के लिए जारी की जाएगी|
9.	ऋण सुविधा	कोई ऋण अथवा अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी|
10.	नामांकन सुविधा	(i) उपलब्ध है| (ii) मो.दु.दा.वा.ज. को यथावत नामांकित किया जाएगा जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया हो|
11.	असामयिक भुगतान	(i) दावेदारों के जीवन के दौरान मो.दु.दा.वा.ज. का असामयिक समापन या एकमुश्त आंशिक भुगतान न्यायालय की अनुमति से ही किया जाएगा| यदि अनुमति हो तो, वार्षिकी राशि में परिवर्तन के साथ शेष कार्यकाल और राशि के लिए वार्षिकी भाग को फिर से जारी किया जाएगा, यदि कोई हो तो| (ii) असामयिक समापन के लिए जुर्माना नहीं लिया

		जाएगा| (iii) दावेदार की मृत्यु की स्थिति में, भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा| नामांकित व्यक्ति के पास वार्षिकी जारी रखने अथवा पूर्व-समापन की माँग करने का विकल्प है|
12.	स्रोत पर कर कटौती	(i) ब्याज भुगतान आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस के अधीन है| कर कटौती से छूट लेने के लिए जमाकर्ता द्वारा प्रपत्र 15जी/15एच जमा किया जा सकता है| (ii) टीडीएस के वास्तविक मासिक आधार पर मो.दु.दा.प्रा. के बचत बैंक खाते में वार्षिकी राशि जमा की जाएगी|